न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अनूपशहर, बुलन्दशहर

उपस्थित–राजेश कुमार–तृतीय (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण संख्या–60/2022

CNR No. UPBU07-000078-2022

राज्य————————————————————अभियोजन पक्ष।

बनाम

1. **तालिब उर्फ भूरा** पुत्र कामिल, निवासी मोहल्ला–नई बस्ती, कांधला शामली।
2. **सादाब** पुत्र इनाम, निवासी मोहल्ला–मिर्दगान, कांधला शामली। **(मृतक)**
3. **सावेज** पुत्र असलम निवासी मोहल्ला–गुजरान, कांधला शामली।

.... **अभियुक्तगण**

मुकदमा अपराध संख्या–156/2020
धारा 307/34 भारतीय दण्ड संहिता
थाना–रामघाट जिला बुलन्दशहर।

एवं

सत्र परीक्षण संख्या–61/2022

CNR No. UPBU07-000079-2022

राज्य————————————————————अभियोजन पक्ष।

बनाम

तालिब उर्फ भूरा पुत्र कामिल, निवासी मोहल्ला–नई बस्ती, कांधला शामली।

.... **अभियुक्त**

मुकदमा अपराध संख्या–154/2020
धारा 3/25 आयुध अधिनियम।
थाना–रामघाट जिला बुलन्दशहर।

एवं

सत्र परीक्षण संख्या–62/2022

CNR No. UPBU07-000080-2022

राज्य————————————————————अभियोजन पक्ष।

बनाम

1. **तालिब उर्फ भूरा** पुत्र कामिल, निवासी मोहल्ला–नई बस्ती, कांधला शामली।
2. **सादाब** पुत्र इनाम, निवासी मोहल्ला–मिर्दगान, कांधला शामली। **(मृतक)**
3. **सावेज** पुत्र असलम निवासी मोहल्ला–गुजरान, कांधला शामली।

.... **अभियुक्तगण**

मुकदमा अपराध संख्या–157/2020
धारा 3/5/5ए/8 गौवध अधिनियम
एवं धारा–429 भा0दं0सं0 व धारा–11
पशु क्रूरता अधिनियम
थाना–रामघाट जिला बुलन्दशहर।

Digitally signed by RAJESH KUMAR
Date: 2026.07.07 09:48:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

निर्णय

1. प्रस्तुत सत्र परीक्षण वाद का विचारण थाना पुलिस–रामघाट, बुलन्दशहर द्वारा मु0अ0सं0–156 / 2020, अन्तर्गत धारा–307 भारतीय दण्ड संहिता में अभियुक्तगण तालिब उर्फ भूरा, सादाब व सावेज के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर किया गया, जिस पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा दिनांक–17.12.2020 को संज्ञान लिया गया तथा अभियुक्त को अभियोजन अभिलेखों की नकलें प्रदान करने के पश्चात् पत्रावली को दिनांक 20.01.2021 को सत्र सुपुर्द किया गया, जो सत्र परीक्षण संख्या–263 / 2021, तदोपरान्त 60 / 2022 के रूप वह पंजीकृत हुआ। माननीय सत्र न्यायाधीश के आदेश दिनाँक–12.01.2022 के द्वारा इस पत्रावली को इस न्यायालय को स्थानान्तरित किया गया, जो दिनाँक–25.01.2022 को इस न्यायालय को अन्तरित होकर विचारण हेतु प्राप्त हुई।

2. बरामदगी पशुओं से सम्बन्धित सत्र परीक्षण वाद का विचारण थाना पुलिस–रामघाट, बुलन्दशहर द्वारा मु0अ0सं0–157 / 2020, अन्तर्गत धारा–429 भारतीय दण्ड संहिता, धारा–3 / 5 / 5ए / 8 गौवध अधिनियम एवं धारा–11 पशु क्रूरता अधिनियम में अभियुक्तगण तालिब उर्फ भूरा, सादाब व सावेज के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर किया गया, जिस पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा दिनांक–17.12.2020 को संज्ञान लिया गया तथा अभियुक्त को अभियोजन अभिलेखों की नकलें प्रदान करने के पश्चात् पत्रावली को दिनांक 28.01.2021 को सत्र सुपुर्द किया गया, जो सत्र परीक्षण संख्या–308 / 2021, तदोपरान्त 62 / 2022 के रूप वह पंजीकृत हुआ। माननीय सत्र न्यायाधीश के आदेश दिनाँक–12.01.2022 के द्वारा इस पत्रावली को इस न्यायालय को स्थानान्तरित किया गया, जो दिनाँक–25.01.2022 को इस न्यायालय को अन्तरित होकर विचारण हेतु प्राप्त हुई।

3. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र संख्या–11बी पर उक्त तीनों सत्र परीक्षण वाद एक ही घटना से सम्बन्धित होने के कारण सत्र परीक्षण संख्या–308 / 2021 (नया नम्बर–61 / 2022) व 594 / 2021 (नया नम्बर–62 / 2022) को आदेश दिनाँक 14.10.2021 के अनुसार एकजाई किया गया तथा सत्रवाद संख्या–263 / 2021 (नया नम्बर–60 / 2022), सरकार बनाम तालिब उर्फ भूरा, अन्तर्गत धारा–307 / 34 भा0दं0सं0 को लीड़िंग पत्रावली बनाया गया, जिसमें सम्पूर्ण कार्यवाही अग्रसारित हुई।

4. **अभियोग सारिणी**

वादी मुकदमा	एस0एस0आई0 बच्चू सिंह, थानाध्यक्ष रामघाट, जिला–बुलन्दशहर।

अभियोजन पक्ष की ओर से	**श्री परवेन्द्र लोधी,** एडवोकेट सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक)
अभियुक्तगण की ओर से	**श्री गुलवीर सिंह**, एडवोकेट
अन्तर्गत धारा	धारा–307/24,429 भारतीय न्याय संहिता व धारा–3/5/5क/8 गौवध निवारण अधिनियम एवं धारा–11 पशु क्रूरता अधिनियम
पुलिस थाना	रामघाट
जिला	बुलन्दशहर।

घटना की दिनाँक	22.10.2020
घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट	22.10.2020
आरोप की दिनाँक	02.09.2021
साक्ष्य प्रारम्भ होने की दिनाँक	14.09.2021
धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान की दिनाँक	23.06.2025
प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रारम्भ होने की दिनाँक	10.06.2025
निर्णय आरक्षित करने की दिनाँक	20.06.2026
निर्णय की तिथि	06.07.2026
दण्डादेश की तिथि	

5. प्रस्तुत मामले में अभियोजन का कथानक में इस प्रकार है कि–

फर्द जामातलाशी व बरामदगी एक तंमचा 315 बोर मय एक अदद कारतूस व एक खोखा कारतूस व एक तमंचा 32 बोर मय दो अदद कारतूस 32 बोर व एक कन्टेनर (टाटा) जिसमे 16 गौवंशीय पसु जिन्दा व एक मृत गाँवशीय व गिरफ्तारी 3 नफर अभि० अन्तर्गत धारा 3/25 A ACT, 307 IPC (पुलिस मुठभेड) व 3/5/5क/8 गौवध निवा0 अधि० व 11 पशु क्रूरता अधि० व 429 IPC

"आज दिनाक 22–10–20 को में एस0ओ0 बच्छू सिंह मय उ0नि0 श्री बुद्धिप्रकाश गौतम मय का0 747 दुर्गेश कुमार, का0 747 दुर्गेश कुमार, का0 1115 पंकज राणा कॉ0 1295 नरेन्द्र कुमार मय गाड़ी सरकारी न्च13 ।ळ 0465 मय सहचालक का0 1247 सोनपाल शर्मा के थाने से वहवाले र0नं0 28 समय 17.21 बजे वास्ते देखरेख शान्ति व्यवस्था ड्यूटी, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन, बैंक, तलाश वांछित अपराधी आदि मे रवाना होकर फौजी चौराहा जरगंवा मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास द्वारा मोबाइल फोन सूचना मिली कि एक कन्टेनर न0 UP21CN–5620 में गौवंशीय पशु कुछ लोग वध करने को ले जा रहे है। ग्राम जरगवां के पास पँहुचे है जल्दी की जाय तो पकड़े जा सकते है। इस सूचना पर विश्वास करके बिना देरी किये गाड़ी से तेज चल दिये। पप्पू होटल के पास उक्त कन्टेनर को रूकने का इशारा किया नहीं रूका, ओवरटेक करते हुये बम्बा पुल से पहले गाड़ी आगे

*कर रोका, जैसे ही कन्टेनर रोका उ0नि0 बुद्धिप्रकाश गौतम एक दम कन्टेनर के आगे होकर ड्राइवर की तरफ दौडे तो ड्राइवर ने एक दम जान से मारने की नीयत से कन्टेनर ऊपर चढ़ाने की कोशिश की और दाहिनी साइड होकर कन्टेनर दौड़ा दिया। एस0ओ0 बुद्धिप्रकाश गौतम ने एक दम सड़क के खन्ती में कूदकर जान बचाई और पुनः सभी लोग जल्दी से गाड़ी में बैठकर पीछा करने लगे कि ड्राइवर ने एक दम पैट्रोल पम्प से आगे कन्टेनर बांये तरफ खाली जगह मे खड़ी झाडियो की तरफ उतार दिया और केबिन में बैठे एक व्यक्ति ने आवाज दी कि देखते क्या हो मारो गोली हम लोग जैसे ही पकड़ने को लपके कि उक्त लोगो ने हम पुलिस वालो को जान से मारने की नीयत से हम लोगो के ऊपर एक फायर किया जिससे हम लोग आढ़ लेकर बाल–2 बचे और ट्रक (कन्टेनर) की खिड़कियो ले कूद कर तीन व्यक्ति भागने लगे हम लोगो ने पीछा कर दो व्यक्तियो को करीब 50 कदम की दूरी पर पकड़ लिया, एक व्यक्ति प्लान्ट की दीवार फांद गया शोर मचाया तो **CISF** के जवान जो दीवार के पार गश्त में थे उनके सहयोग से आवश्यक बल प्रयोग कर घेर कर पकड़ लिया। पकडे हुये तीनो व्यक्तियो से नाम पता पूछते हुये समय करीब 18.30 बजे जामा तलाशी ली तो एक ने अपना नाम तालिब उर्फ भूरा पुत्र कामिल नि०मी० नई बस्ती कस्बा थाना काधला जि० शामली बताया की जामातलाशी से पहने पैन्ट की बायी फैन्ट से एक तमंचा 32 बोर जिसकी नाल करीब 4 अगुंल लोहा बाडी 3 अंगुल पीतल बट करीब 3 अगुल जिस पर दोनो तरफ चाप चढ़ी है ऊपर हमर नीचे ट्रेगर ट्रेगर गार्ड व खोलने बंद करने को साइड में पीतल की क्लिप लगी है व पैन्ट की दाहिनी जेब से दो अदद कारतूस 32 बोर जिंदा बरामद हुये। दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम सादाब पुत्र इनाम नि०मो० मिर्दगान कस्बा व थाना काधला जि० शामली बताया की जामातलाशी से दाहिने हाथ में पकड़े एक तमचा 315 बोर जिसकी नाल लोहा करीब 8 अंगुल बाडी करीब 5 अंगुल बट करीब 5 अगुल जिस पर टोनो तरफ लकड़ी की चाप स्कू से लगी है ऊपर हेमर नीचे ट्रेगर लगा है। ट्रेगर गार्ड बोलने बंद करने को नीचे एक की है चालू हालत में बरामद हुआ और पहने पैन्ट की दाहिनी जेब से एक कारतूस 315 बोर जिसकी पेन्टी पर 8* **MM KF** *अंकित तमंचा की नाल को खोला तो खोखा कारतूस नाल में लगा है निकाला ताजा फरार होने की बू आ रही है, बरामद हुआ। तीसरे में अपना नाम सावेज बताया, जिसकी जामातलाशी से कोई अवैध वस्तु बरामद नहीं हुई। कन्टेनर का पीछे का गेट खुलवाया गया तो कन्टेनर में गौवंसीय करीब 17 पशु आपस में रस्सियों से बुरी तरह जकड़े भरे पड़े है, जिनमें कुछ बड़े है, कुछ नीचे बुरी दशा में पड़े है व आगे केबिन में एक रस्सा प्लास्टिक करीब 10 मी० लम्बा, दो हुरी लोहा व लम्बाई करीब एक बालिस्त 6 अंगुल व एक दांव (गड़ासा) लोहा, जिसका फलन करीब एक बालिस्त 4 अगुल व हत्या एक बालिस्त लोहा बरामद हुआ। आपसी कर्मचारीगण के सहयोग से गौवसीय पशुओं को बधन*

मुक्त कराया जो 14 रस्सियों से आपस में जकड़े थे। कन्टेनर में 14 गोवसीय (साड/बैल) दो गाय जिन्दा व एक गाय मरी पड़ी है। बरामद हुये अभियुक्तगण से पूछताछ कि तो बताया कि उक्त गौवसीय पशु हम लोग जगह व जगह से चोरी छिपे रामपुर ले कर जाते है और उनका वध कर उनका माँस आदि ऊँची कीमत पर बेच देते हैं, जिससे हम लोगों को अच्छी व मोटी आमदनी हो जाती है। अभियुक्तगण का यह जुर्म धारा 3/25 आयुध अधिनियम, 307 भारतीय दण्ड संहिता, 3/5/5क/8 गौ० वध निवा० अधि० व 11 पशु क्रूरता अधि० व 429 भा0दं0सं0 की हद को पहुंचता है। अत अभियुक्तगणको इनके जुर्म से अवगत कराते हुये मा० सर्वोच्च न्याया० व मानवाधिकार आयोग के आदेशो निर्देशों का पालन करते हुये हिरासत पुलिस में लेकर जनता के गबाहान फराहम करने की कोशिश की तो कोई व्यक्ति भलाई बुराई के कारण तैयार नहीं हुआ तथा अपनी राह बिना नाम पता बताये चलते बने। अभियुक्तगण से बरामद तमचा कारतूस अलग–2 अभियुक्तवार एक कपडे में रखकर सिलकर सर्वे मौहर कर नमूना मौहर बनाया गया। छूरी व दाँव (गडासा) एक कपड़े में सील सर्वे मौहर कर नमूना मौहर बनाया गया तथा गौवसीय पशुओं व ट्रक (कन्टेनर) को कब्जे पुलिस में लिया गया कन्टेनर का कोई कागजात न होने के कारण ***धारा 207 एम0वी0एक्ट*** *में अलग से सीज किया। गिरफ्तारी मैमो तैयार किया गया अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की सूचना परिजनो को थाने पहुंचकर उचित माध्यम टी जायेगी। फर्द मुझ एस0ओ0 द्वारा बोल बोलकर उप–निरीक्षक बुद्धिप्रकाश गौतम से वहीं टार्च की रोशनी में लिखवाई गयी व फर्द हमराही कर्मचारीगण को पढ़कर सुनाकर गवाही बनवायी जाती है। नोट–फर्द की कार्बन कापी अभियुक्तगण की आपसी सहमति से अभियुक्त तालिब को दी गई, प्राप्ति के अलामात बनवाये जाते है। हस्ताक्षर बच्चू सिंह, थानाध्यक्ष रामघाट, बुलन्दशहर। दिनाँकित–22.10.2020"*

6. वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त **तहरीर प्रदर्श क–1** के आधार पर थाना–रामघाट जिला–बुलन्दशहर पर दिनाँक–22.10.2020 को समय 22.20 बजे अभियुक्तगण तालिब उर्फ भूरा, सादाब व सावेज के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्य–156/2020 अन्तर्गत धारा–307 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत चिक, **प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–5** पंजीकृत हुई। उक्त तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर ही कन्टेनर से बरामद बंधे, मृत व गौवंसीय पशुओं के सम्बन्ध में दिनाँक–22.10.2020 को ही समय 22.20 बजे अभियुक्तगण तालिब उर्फ भूरा, सादाब व सावेज के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्य–157/2020 अन्तर्गत धारा–3/5ए/8 गौवध अधिनियम व धारा–429 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत चिक, **प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–7** पंजीकृत हुई तथा उक्त फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर ही अभियुक्त तालिब उर्फ भूरा की जामातलाशी से अवैध असलाह बरामद होने पर दिनाँक–22.10.2020 को समय 22.20 बजे अभियुक्तगण तालिब उर्फ भूरा, सादाब व सावेज के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्य–154/2020 अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध

अधिनियम के अन्तर्गत चिक, **प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–8** पंजीकृत हुई। उक्त चिक प्रथम सूचना रिपोर्टो का खुलासा थाने की **जी0डी0 संख्या–39** समय 22.20 बजे दिनाँक–22.10.2020 **प्रदर्श क–6** पर किया गया, जिसकी विवेचना उप–निरीक्षक पूरन सिंह के सुपुर्द हुई।

7. दौरान विवेचना विवेचक द्वारा गवाहों के बयान लिये तथा घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शानजरी **प्रदर्श क–2, प्रदर्श क–10 व प्रदर्श क–12** तैयार किया गया। पशुओं का **स्वास्थ्य परीक्षण कराकर रिपोर्ट प्रदर्श क–13** व मृतक पशुओं की पोस्टमार्टम रिपोर्ट **प्रदर्श क–14 प्राप्त** प्राप्त की गई, अभियुक्त तालिब उर्फ भूरा से बरामद अवैध तमन्चा व जिन्दा कारतूस के सम्बन्ध में अभियोग चलाने हेतु **अभियोजन अनुमति** जिला मजिस्ट्रेट बुलन्दशहर से **प्रदर्श क–3** प्राप्त की। विस्तृत विवेचना कर अभियुक्तगण तालिब उर्फ भूरा, सादाब एवं सावेज के विरूद्ध क्रमशः धारा–307 भा0दं0सं0 का **आरोप पत्र प्रदर्श क–9**, धारा–3 / 5 / 5क / 8 गौवध अधिनियम व धारा–429 भा0दं0सं0 एवं धारा–11 पशु क्रूरता अधिनियम का **आरोप पत्र प्रदर्श क–11** व अभियुक्त तालिब उर्फ भूरा के विरूद्ध धारा–3 / 25 आयुध अधिनियम का **आरोप पत्र प्रदर्श क–4** पृथक–पृथक रूप से तैयार कर न्यायालय में दाखिल किये गये।

8. सत्र परीक्षण संख्या–263 / 2021 (60 / 2022 नया नम्बर) में दिनाँक–02.09.2021 को तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या–2 बुलन्दशहर द्वारा अभियुक्तगण तालिब उर्फ भूरा उर्फ तीतर, सादाब व सावेज के विरूद्ध **धारा–307 / 34 भारतीय दण्ड संहिता** एवं सत्र परीक्षण संख्या–594 / 2021 (61 / 2022 नया नम्बर) में दिनाँक–02.09. 2021 को तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या–2 बुलन्दशहर द्वारा अभियुक्त तालिब उर्फ भूरा उर्फ तीतर के विरूद्ध **धारा–3 / 25 आयुध अधिनियम** एवं सत्र परीक्षण संख्या–308 / 2021 (62 / 2022 नया नम्बर) में दिनाँक–02.09.2021 को तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या–2 बुलन्दशहर द्वारा अभियुक्तगण तालिब उर्फ भूरा उर्फ तीतर, सादाब व सावेज के विरूद्ध **धारा–3 / 5 / 5क / 8 गौवध निवारण अधिनियम, धारा–429 भा0दं0सं0 व धारा–11 पशु क्रूरता अधिनियम** के अपराध में पृथक–पृथक रूप से आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

9. दौरान विचारण अभियुक्त सादाब की मृत्यु हो जाने के परिणाम स्वरूप उसके विरूद्ध यह आपराधिक वाद न्यायालय आदेश दिनाँक–27.09.2022 के द्वारा उपशमित किया गया है। इस प्रकार यह विचारण मात्र अभियुक्तगण तालिब उर्फ भूरा व सावेज के विरूद्ध है, जिसका विचारण किया गया।

10. अभियोजन द्वारा अपने कथानक के समर्थन में निम्नलिखित अभियोजन अभिलेख प्रस्तुत किये गये है जिनका सूची क्रम निम्न प्रकार है–

क्रम संख्या	अभियोजन अभिलेख	प्रदर्श
1	फर्द बरामदगी	प्रदर्श क–1
2	नक्शा नजरी मु0अ0सं0–154/2020	प्रदर्श क–2
3	अभियोजन स्वीकृति मु0अ0सं0–154/2020	प्रदर्श क–3
4	आरोप पत्र मु0अ0सं0–154/2020	प्रदर्श क–4
5	प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0–156/2020	प्रदर्श क–5.
6.	प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0–156/2020	प्रदर्श क–6
7.	प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0–157/2020	प्रदर्श क–7
8.	प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0–154/2020	प्रदर्श क–8
9.	आरोप पत्र मु0अ0सं0–156/2020	प्रदर्श क–9
10.	नक्शा नजरी मु0अ0सं0–156/2020	प्रदर्श क–10
11.	आरोप पत्र मु0अ0सं0–157/2020	प्रदर्श क–11
12.	नक्शा नजरी मु0अ0सं0–157/2020	प्रदर्श क–12
13.	स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट	प्रदर्श क–13
14.	शव–विच्छेदन आख्या मृतक पशु	प्रदर्श क–14

11. मौखिक साक्ष्य के रूप में अभियोजन द्वारा निम्न साक्षीगण प्रस्तुत किये गये है, जिन्हें न्यायालय में परीक्षित कराया गया है–

पी0डब्लू0	साक्षी का नाम	विवरण
1	वरिष्ठ उप–निरीक्षक बच्चू सिंह	वादी मुकदमा
2	उप–निरीक्षक बुद्ध प्रकाश गौतम	तथ्य का साक्षी
3	उप–निरीक्षक खैमीमल मौर्य	विवेचक धारा–3/25 आयुध अधिनियम
4	कां0 आशीष कुमार	प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक
5	चिकित्सक मनोज कुमार	चिकित्सक साक्षी
8.	चिकित्सक नीरज गोयल	चिकित्सक साक्षी
9.	उप–निरीक्षक जान मोहम्मद	विवेचक
10.	निरीक्षक राजेश कुमार यादव	वादी बरामदगी माल मुकदमा

12. अभियोजन द्वारा अपने कथानक के समर्थन में उपरोक्त साक्षीगण को न्यायालय में परीक्षित कराया गया है जिनका साक्ष्य परीक्षण निम्न प्रकार है–

<u>अभियोजन साक्ष्य–विश्लेषण</u>

अभियोजन साक्षी संख्या–1 उप–निरीक्षक बच्चू सिंह वादी मुकदमा है, इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनाँक–22.10.2020 को मैं स्वयं थानाध्यक्ष रामघाट मय हमराह उप–निरीक्षक बुद्धि प्रकाश गौतम, कां0 दुर्गेश कुमार, कां0 पंकज राणा, कां0 नरेन्द्र कुमार मय थाना रामघाट पुलिस की सरकारी गाडी यू0पी0–13ए0जी0–0465 मय चालक कां0 सोनपाल शर्मा के थाने से रपट संख्या–28 समय 17.21 बजे वास्ते देखरेख शान्ति व्यवस्था ड्यूटी चैंकिग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन, तलाश वांछित अपराधी आदि में रवाना होकर फौजी चौराहा जरगवां पर मामूर था कि जरिए मुखबिर खास मोबाईल से सूचना मिली कि एक कन्टेनर नम्बर–यू0पी0–21सी0एन0–5620 में गौवंसीय पशु कुछ लोग वद करने को ले जा रहे है, गाँव जरगँवा के पास पहुँचे है, जल्दी की जाए तो पकड़े जा सकते है। इस सूचना पर विश्वास करके बिना देरी किये गाडी से तेज चल दिये। पप्पू होटल के पास उक्त कन्टेनर को रूकने का इशारा किया नहीं रूका। ओवर टेक करते हुए बम्बा पुल से पहले गाडी आगे कर रोका। जैसे ही कन्टेनर रूका, उप–निरीक्षक बुद्धि प्रकाश गौतम एमदम कन्टेनर के आगे होकर ड्राईवर की तरफ दौड़े तो ड्राईवर ने एकदम जान से मारने की नीयत से कन्टेनर ऊपर चढ़ाने की कोशिश की तथा दाहिनी साईड होकर कन्टेनर दौड़ा दिया। उप–निरीक्षक बुद्धिप्रकाश ने एक दम सड़क की खन्दी में कूदकर जान बचायी। पुनः सभी लोग जल्दी से गाड़ी में बैठकर पीछा करने लगे। ड्राईवर ने एकदम पेट्रोल पम्प से आगे कन्टेनर बांयी तरफ खाली जगह में खडी झाड़ियों की तरफ उतार दिया और केबिन में बैठे एक व्यक्ति ने आवाज दी कि देखते क्या हो, मारो गोली। हम लोग जैसे ही पकड़ने को तेजी से आगे बढ़े तो उक्त लोगों ने हम पुलिस वालों को जान से मारने की नीयत से हम लोगों के ऊपर एक फायर किया, जिससे हम लोग आड़ लेकर बाल–बाल बचे। ट्रक की (कन्टेनर) खिड़कियों से कूदकर तीन व्यक्ति भागने लगे। हम लोगों ने पीछा कर दो व्यक्तियों को करीब 50 कदम की दूरी पर पकड़ लिया। एक व्यक्ति पावर प्लान्ट की दीवार कूद गया। शौर मचाया तो सी0आई0एस0एफ0 के जवान जो दीवार के साथ गश्त में थे, उनके सहयोग से आवश्यक बल प्रयोगकर घेरकर पकड़ लिया। पकडे हुए तीनों व्यक्तियों से नाम पता पूँछते हुए समय करीब 18.30 बजे जामातलाशी ली तो एक ने अपना नाम तालिब उर्फ भूरा बताया, उसकी जामातलाशी से पहने पेन्ट की बाँयी फेंट से एक तमन्चा .32 बोर तथा पेन्ट की दाहिनी जेब से दो अद्द कारतूस .32 बोर, बरामद हुए। दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम सादाब बताया, जिसकी जामातलाशी से दाहिने हाथ हाथ में पकडे हुए एक तमन्चा 315 बोर व पहने पेन्ट की दाहिनी जेब से एक कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। तमन्चे की नाल खोली तो नाल में खोला लगा है, निकाला ताजा फायर होने की गन्ध आ रही थी। तीसरे ने अपना नाम सावेज बताया, जिसकी जामातलाशी से कोई अवैध वस्तु अवैध बरामद नहीं हुई। कन्टेनर का पिछला गेट खुलवाया तो कन्टेनर में गौवंसीय 17 पशु आपस में रस्सीयों से बुरी तरह जकड़े भरे हुए है, जिनमें कुछ खड़े थे तथा कुछ नीचे बुरी दशा में पड़े थे। आगे केबिन को खोलकर देखा तो उसमें एक रस्सा प्लास्टिक करीब 10

मीटर लम्बा दो छुरी लोहा, एक दाँव (गड़ासा) लोहा, बरामद हुआ। पुलिस टीम के सहयोग से गौवंशों को बन्धन मुक्त कराया गया, जो 14 रस्सीयों से जकड़े हुए थे। कन्टेनर में 14 गोवंसीय सांड/बैल, दो गाय जिन्दा व एक गाय मरी पड़ी थी, बरामद हुई। अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि ये पशु हम लोग जगह–जगह से चोरी छिपे रामपुर ले जाते हैं और उनका वध कर उनका माँस आदि ऊँची कीमत पर बेच देते हैं, जिससे हम लोगों को अच्छी मोटी आमदनी हो जाती है। अभियुक्तगण को उनके द्वारा किये गये अपराध से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस में लेकर जनता के गवाह फराहम करने की कोशिश की तो कोई व्यक्ति भलाई–बुराई के कारण गवाही को तैयार नहीं हुआ और राहगीर बिना नाम पता बताये तेजी से चले गये। बरामदगी व गिरफ्तारी के दौरान मानवाधिकार आयोग व माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन किया गया। फर्द को बुद्धिप्रकाश गौतम को शब्द–ब–शब्द बोलकर प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था में एवं वाहनों की रोशनी की लाईट जलाकर मौके पर तैयार कराई गई थी। फर्द तैयार कराकर मैंने अपने हस्ताक्षर किये थे तथा गवाहान के भी हस्ताक्षर कराए गए। फर्द लेखक उप–निरीक्षक बुद्धि प्रकाश गौतम ने भी फर्द पर हस्ताक्षर किये थे। मुल्जिमान के हस्ताक्षर कराकर फर्द की कापी सभी अभियुक्तगण की सहमति से अभियुक्त तालिब को दी गई। साक्षी ने पत्रावली पर पेपर संख्या–4ए/3 ता 4ए/4 को देखकर कहा कि यह वही फर्द है, जो मेरे द्वारा शब्द–ब–शब्द बोलकर गिरफ्तारी व बरामदगी दौरान मौके पर तैयार की गई थी। इस फर्द पर मेरे व हमराहीयान के हस्ताक्षर कराये गये थे। **फर्द** पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। माल मुकदमा को मौके पर ही अलग–अलग सर्वसील मोहर किया। अभियुक्तगण के हस्ताक्षर लिए गये। थाना हाजा आकर अभियुक्तगण को सन्तरी पहरा की निगरानी में मर्दाना हवालात में अन्दर कराकर ताला बन्द कर हवालात की चाबी सुपुर्द की गई। फर्द के मुताबिक अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराए गए। माल को थाना कार्यालय पर दाखिल किया गया।

माननीय न्यायालय की अनुमति से न्यायालय में मौजूद माल मुकदमा पुलिन्दा सील सर्वेमोहर जिस पर काली स्याही से 154/20, एक पुलिन्दा सील मोहर, एक तमन्चा 32 बोर मय तमन्चा कारतूस 32 बोर अभियुक्त तालिब उर्फ भूरा सम्बन्धित अपराध संख्या–154/20 अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम व 307 भा0दं0सं0 थाना रामघाट जिला–बुलन्दशहर लिखा है व साक्षी ने बताया कि सर्वेसील पुलिन्दा पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है व हमराहीगण के भी हस्ताक्षर मौजूद है व अभियुक्त के हस्ताक्षर है। अभियुक्तगण के निशानी अंगूठा है, खोला गया। **कपडे पुलिन्दा** पर **वस्तु प्रदर्श–1** डाला गया, जिसके अन्दर तालिब उर्फ भूरा से बरामद 32 बोर का एक अदद तमन्चा व दो जिन्दा कारतूस निकले, गवाह ने देखकर कहा कि इनका हुलिया फर्द के हुलिया से मेल खाता है। यह वही तमन्चा व दो जिन्दा कारतूस है, जो अभियुक्त तालिब से बरामद हुए थे और मैने बरामदगी स्थल पर ही सर्वेसील किया था। **तमन्चा**

पर **वस्तु प्रदर्श–2, दो जिन्दा कारतूसों** पर **वस्तु प्रदर्श–3 व वस्तु प्रदर्श–4** डाला गया। जिन्दा कारतूस भी 32 बोर के है।

एक दूसरा कपडा पुलिन्दा जिस पर लाल स्याही से 155 / 20 सादाब व मुकदमें का विवरण एक पुलिस सर्वेसील मोहर मय मूला एक अद्द तमन्चा 315 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व खोखा कारतूस 315 बोर, धारा–3 / 25 आयुध्र अधिनियम व धारा–307 भा0दं0सं0 थाना रामघाट, जिला–बुलन्दशहर काली स्याही में लिखा है, जिसे देखकर साक्षी ने कहा कि इस पर मेरे हस्ताक्षर दिनाँक सहित मौजूद है। यह वही कपड़ा, पुलिन्दा है, जो अभियुक्त सादाब से बरामद माल से सम्बन्धित है, कपड़ा पुलिन्दा सर्वे सील मोहर है। न्यायालय की अनुमति से उक्त कपड़ा पुलिन्दा को खोला गया, जिसके अन्दर से एक अद्द 315 बोर तमन्चा, एक जिन्दा कारतूस 315 बोर, एक खोखा कारतूस निकला। साक्षी ने देखकर कहा यह वही तमन्चा व माल मुकदमा है, जो अभियुक्त शादाब से बरामद हुआ था। इसका हुलिया फर्द के हुलिया से मेल खाता है। तमन्चा चालू हालत में है। **कपड़े पुलिन्दे** पर **वस्तु प्रदर्श–5** डाला गया। **जिन्दा कारतूस 315 बोर** पर **वस्तु प्रदर्श–6 व खोखा कारतूस 315 बोर** पर **वस्तु प्रदर्श–7** डाला गया तथा **तमन्चे पर वस्तु प्रदर्श–8** डाला गया।

तीसरा कपडा पुलिन्दा सील सर्वेमोहर जिस पर एक पुलिन्दा सर्वेमोहर दो छूरी व एक गंडासा बरामद कब्जा तालिब आदि तीन नफर अभियुक्तगण अ0सं0 157 / 20 अन्तर्गत धारा–3 / 5 / 5क / 8 गौवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम, 429 भा0दं0सं0, थाना–राम घाट जिला–बुलन्दशहर काली स्याही से लिखा है, इस पर अभियुक्त तालिब का निशानी अंगूठा व सावेज तथा सादाब के हस्ताक्षर है। साक्षी ने कपड़ा पुलिन्दा पर अंकित लेख व हस्ताक्षर को देखकर कहा कि यह वही लेख व हस्ताक्षर है, जो अभियुक्तगण की बरामदगी व माल मुकदमा को सर्वेसील मोहर करते वक्त कराये थे। सील सी0जे0एम0 मोहर, दिनाँक सहित मौजूद है। मेरे हस्ताक्षर दिनाँक संहित मौजूद है। न्यायालय की अनुमति से खोला गया। इसके अन्दर से एक गडासा (लोहा) दो छूरी लोहा निकाली, जिन्हे देखकर साक्षी ने कहा यह वही गंडासा व छूरी है, जो घटना स्थल पर घटना के समय खड़ी गाडी के केबिन से अभियुक्तगण की निशानदेही पर बरामद हुई है, जिनका हुलिया फर्द के हुलिये से मेल खाता है। **कपड़ा पुलिन्दा** पर **वस्तु प्रदर्श–9, गंडासे** पर **वस्तु प्रदर्श–10 व दोनों छुरियों** पर **वस्तु प्रदर्श–11 व 12** डाला गया।

एक अन्य कपडा पुलिसा सर्वेसील मोहर जिस पर एक पुलिन्दा सर्वेमोहर एक रस्सा प्लास्टिक व 14 रस्सी बरामदा व कब्जा अभियुक्त तालिब आदि तीन नफर अ0सं0–157 / 20 अन्तर्गत धारा–3 / 5 / 5क / 8 गौवध अधिनियम व 11 पशू क्रूरता अधिनियम व 429 भा0दं0सं0 थाना रामघाट काली स्याही से लिखा है, जिसे देखकर गवाह ने कहा कि यह वही कपड़ा पुलिन्दा है, जो मेरे द्वारा बरामदगी स्थल पर सील किया था, इस पर मेरे हस्ताक्षर दिनाँक–22.10.20 मौजूद है। इस पर अभियुक्त तालिब का निशानी अंगूठा व अभियुक्त सादाब व सावेज के हस्ताक्षर मौजूद है। मेरे व हमराही के हस्ताक्षर मौजूद है। सी0जे0एम0 सील दिनाँक सहित

मौजूद है, न्यायालय अनुमति से खोला गया। इसके अन्दर से एक रस्सी प्लास्टिक व 14 रस्सी के टुकडे निकले, जिन्हें देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही रस्सा प्लास्टिक है, जो करीब 10 मीटर लम्बा है, जो गाडी के केबिन से बरामद हुआ था तथा 14 रस्सीयों के टुकडे वो है, जिनसे 14 गोवंश 60 बैल, दो गाय जिन्दा व इन रस्सियों के टुकड़ो से आपस में बांधकर जकडे गये थे, बरामद हुए थे। **कपड़ा पुलिन्दा पर वस्तु प्रदर्श–13, रस्सी प्लास्टिक पर वस्तु प्रदर्श–14 व 14 रस्सीयों के टुकडों पर वस्तु प्रदर्श–15 से वस्तु प्रदर्श–28** डाला गया। इस सम्बन्ध में विवेचक ने मेरा बयान लिया था। मेरे द्वारा इस सम्बन्ध में अ0सं0–156 / 20 अन्तर्गत धारा–307 भा0दं0सं0 बनाम अभियुक्तगण तालिब उर्फ भूरा, सावेज व सादाब अ0सं0–157 / 20 अन्तर्गत धारा–3 / 5ए / 5 / 8 गौवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 429 भा0दं0सं0 का अभियोग तालिब उर्फ भूरा, सावेज व सादाब व अपराध संख्या–154 / 20 सरकार तालिब उर्फ भूरा उर्फ तीतर अन्तर्गत धारा–3 / 25 आयुध अधिनियम एवं अपराध संख्या–155 / 20 अन्तर्गत धारा–3 / 25 आयुध अधिनियम अभियुक्त सादाब थाना हाजा पर दर्ज कराया था। मेरे द्वारा दिनाँक–22.10.20 को ग्राम प्रधान कृष्णादेवी, ग्राम प्रधान रामघाट को, अभियुक्त से 14 गाय बरामद हुए थे, को तुरन्त राहत देने की आवश्यकता थी, जन सहयोग की भावना को दृष्टिगत रखते हुए सुपुर्दगी में अस्थाई गौशाला कस्बा व थाना रामघाट में सुपुर्दगी दी गई थी।

जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि थाने से रवानगी दिनाँक–22.10.2020 को समय 17.21 बजे चैंकिग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु तलाश वाँछित देखरेख शांति व्यवस्था में हुई थी। इस समय ध्यान नहीं है कि हम किस वांछित अभियुक्त की तलाश में निकले थे। रवानगी के बाद सबसे पहले जरगवां से आगे फौजी चौराहे पर पहुँचे थे। फौजी चौराहे पर करीब 20 मिनट रूके थे। हमे करीब 5.40 बजे सूचना मिली थी। सूचना हमें फोन द्वारा मिली थी। मैंने विवेचक को वह नम्बर नहीं बताया था, जिस नम्बर से मुझे कॉल आयी थी। हम जी0डी0 में रवानगी करके चले थे। जी0डी0 में उस अपराध संख्या का विवरण अंकित नहीं है, जिसमें वांछित अभियुक्त की तलाश हेतु निकले थे, जिस गाडी से रवाना हुए थे वह गाडी सरकारी थी। उसका नम्बर–यू0पी0–13ए0जी0–0465 था। मुझे इस समय ध्यान नहीं है कि फर्द पर गाडी के चालक कां0 के हस्ताक्षर कराये थे या नहीं। घटना स्थल फौजी चौराहे से चार–पाँच किलोमीटर दूर है। पप्पू के होटल से घटना स्थल लगभग एक दो किलोमीटर दूर है। घटना स्थल के आस–पास कोई आबादी नहीं है। हम होटल पर नहीं रूके थे। गिरफ्तारी प्रपत्र मैंने उप–निरीक्षक बुद्धि प्रकाश गौतम से तैयार कराया था। गिरफ्तारी प्रपत्र पर गिरफ्तारी का समय अंकित नहीं है। इस पर जहाँ गिरफ्तारी की गई, वहाँ आबादी नहीं थी, किसी स्थानीय साक्षी का नाम अंकित नहीं है। निल है। घटना स्थल आबादी से अलग होने के कारण निल लिखा है। रात्रि होने के कारण व भलाई–बुराई के कारण कोई गवाही को तैयार नहीं हुआ। यह बात सही है कि मैं इस मुकदमें में वादी हूँ और इस अपराध के विवेचक मेरे अधीनस्थ थे। मुल्जिमान के द्वारा हम लोगों पर केवल एक फायर किया गया था तब पुलिस पार्टी अलग–अलग घेरा

बन्दी कर रहे थे। मुझे यह नहीं पता किस पुलिस कर्मी ने किस अभियुक्त को पकड़ा था। सी0आई0एस0एफ0 यूनिट वालों से जवानों से गवाह बनने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने गवाही के लिए मना कर दिया था। सी0आई0एस0एफ0 के जवानों ने गवाही के लिए मना कर दिया था यह मेरे द्वारा फर्द में अंकित नहीं किया गया है, न ही उन जवानों के नाम अब बता सकता हूँ। मैंने रस्सों की लम्बाई नापी नहीं थी, लम्बाई अन्दाजे से लिखी थी। मुझे ध्यान नहीं है कि फर्द की कापी अभियुक्तगण को दी गई थी या नहीं। इस समस्त घटना में किसी पुलिसकर्मी के कोई चोट नहीं आयी थी। घटना के समय हमने पब्लिक का कोई गवाह नहीं बनाया। उन्होंने गवाही के लिए मना कर दिया था। जिस समय हमने गाडी आती दिखाई थी, उस समय मैं उप–निरीक्षक बुद्धि प्रकाश गौतम, कां0 दुर्गेश, कां0 नरेन्द्र, कां0 पंकज, कां0 चालक सोहनपाल भी मौजूद थे। घटना स्थल पर पहुँचने से पहले हम पुलिस वालों ने आपस में जामातलाशी ली थी। फर्द में इस तथ्य को अंकित नहीं पाया, जिस कारण मैं नहीं बता सकता कि किस पुलिसकर्मी ने किस पुलिस कर्मी की तलाशी ली थी। फर्द में इस बात का उल्लेख नहीं किया कि वह गौवशों को कहाँ से ला रहे थे। रामघाट से रामपुर ले जा रहे थे। रामघाट व रामपुर उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। वाहन में से हमें कोई कटा गौवशं या कोई गौमांस प्राप्त नहीं हुआ। घटना स्थल के आस–पास किसी व्यक्ति का न कोई प्लाट है, न कोई रेडी है। थाने से चलने के बाद करीब एक घण्टा बाद घटना स्थल पर पहुँच गये थे। गौवशों की गिनती गाड़ी के अन्दर भी की थी और गाड़ी से उतारकर भी की थी। गौवशों की गिनती किस पुलिसकर्मी ने की थी, ध्यान नहीं। गौवशों को गाडी सहित थाने लाए थे और थाने लाने के बाद गौवशों को गोशाला में छुड़वा दिया था। सुपुर्दगीनामा पत्रावली पर संलग्न है। यह बात सही है इस सुपुर्दगीनामा पर किसी पुलिस कर्मी के हस्ताक्षर नहीं है, न थाने की मोहर है। सुपुर्दगी नामें पर गौवशों के आकार, रंग व उसकी बाबत कोई जिक्र नहीं है। घटना स्थल पर पहुँचने में, फर्द लिखने में, अभियुक्तगण को पकड़ने में कितना समय लगा ध्यान नहीं है। इस मुकदमें से सम्बन्धित माल मेरे द्वारा सील किया गया था। माल के पुलिन्दे पर लगी सील देखकर कहा कि यह वही सील है, जो मौके पर लगाई गई थी। बरामद रस्सी वही रस्सी है, जो मौके पर बरामद हुई थी। इन पर न खून लगा है, न गोबर लगा है, न मिटटी लगी है। बरामद छुरी नई है, धार टूटी है, खून आदि का कोई निशान नहीं है। गंडासे की धार टूटी है, इन पर भी खून नहीं लगा है। अभियुक्त तालिब उर्फ भूरा से जो तमन्चा बरामद हुआ। उसके पुलिन्दे कपड़े में से कोई टूटी सील बरामद नहीं हुई है, जो दो कारतूस जिन्दा बरामद हुए है, उनमें से एक जिन्दा कारतूस पर चलाने की यानि चोट लगी हुई है। अभियुक्त शादाब से जो तमन्चा बरामद हुआ है, उस पुलिन्दे में से भी कोई टूटी सील नहीं निकली है, जो तमन्चा बरामद हुआ है, उसके पुलिन्दे पर अ0सं0–154/20 का लाल मार्कर से अ0सं0–155/20 लिखा गया है। घटना के सम्बन्ध में विवेचक ने मेरा बयान लिया था। बयान लिये जाने का दिनाँक व समय याद नहीं। दोनों छुरी व गंडासा गाडी के केबिन से बरामद हुआ है, किसी

अभियुक्त से बरामद नहीं हुआ। तमन्चा अभियुक्त शादाब के हाथ से व कारतूस पेंट की दाहिनी जेब से बरामद हुआ था। गंडासा का बेंटा टूटा हुआ है व हिलाने से हिल रहा है। हमारे द्वारा मुल्जिमान पर कोई जवाबी कार्यवाही फायरिंग नहीं की गई। यह कहना गलत है कि मैं मुल्जिमान को पकडकर गलत तरीके से बरामदगी दिखाते हुए झूँठा मुकदमा थाने पर दर्ज कराया है। यह कहना गलत है कि मैं मौके पर न गया हूँ और थाने पर बैठकर ही कार्यवाही की हो। यह कहना गलत है कि ऐसी कोई गवाह मौके पर नहीं आ सका।

13. **अभियोजन साक्षी संख्या–2 उप–निरीक्षक बुद्ध प्रकाश गौतम** वादी मुकदमा है, इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 22.10.2020 को मैं तत्कालीन एस0ओ0 बच्चू सिंह के साथ सरकारी गाडी यू0पी0–13ए0जी0–0465 मय कां0 सोमपाल शर्मा गाडी चालक, कां0 दुर्गेश कुमार, कां0 पंकज राणा, कां0 नरेन्द्र कुमार रपट संख्या–28 समय 17.21 बजे वास्ते शान्ति देखरेख व्यवस्था डयूटी चैंकिग संदिग्ध वाहन, व्यक्ति तलाश वांदित अपराधी रवाना होकर फौजी चौराहा जरगवां पर मौजूद थे, जरिये मुखबिर खास एस0ओ0 महोदय को द्वारा फोन सूचना मिली कि कुछ लोग एक कन्टेनर यू0पी0–21सी0एन0–5620 में गौवंश वध करने हेतु ले जा रहे है और जरगवां के पास पहुंच गए। जल्दी की जाए तो पकडे जा सकते है, इस सूचना पर विश्वास कर एक जल्दी–जल्दी गाडी तेज दौडा दी और पप्पू होटल के पास उक्त कन्टेनर को ओवरटेक करके रोकना चाहा, लेकिन कन्टेनर नहीं रूका। पुनः गाडी तेजकर बम्बा पुलि से पहले जीप को आगे निकालकर उक्त कन्टेनर को रोका पहले जीप को आगे निकालकर उक्त कन्टेनर को रोका और एकदम गाडी से उतरकर ड्राईवर की तरफ ट्रक के आगे होकर दौडा तो चालक ने एकदम जान से मारने की कोशिश की। मैं उप–निरीक्षक एकदम सडक किनारे गड्डे में कूदकर जान बचाई। चालक ने एक दम कन्टेनर को दौडा दिया। हम लोगों ने गाडी सरकारी से पुनः पीछा किया तो कन्डक्टर साईड बैठे व्यक्ति ने एकदम कहा भागो पुलिस है। ड्राईवर ने पेट्रोल पम्प से आगे बांयी तरफ खाली जगह झाड़ियों में एकदम उतार दिया और उक्त लोगों ने भागते हुए हम लोगों को जान से मारने की नीयत से एक फायर किया, जिससे हम लोग बाल–बाल बचे और ट्रक से कूदकर तीनों लोग भागने लगे। हम लोगों ने घेर दौड़कर दो लोगों को करीब 50 मीटर की दूरी पर समय करीब 18.30 बजे पकड लिया और एक व्यक्ति नरौरा परमाणु हाऊस की दीवार फांदकर अन्दर कूद गया, जिसे अन्दर ड्यूटी पर लगी सी0आई0एस0एफ0 की मदद से पकड़ लिया तथा पकड़े हुए लोगों को जो दीवार फांदकर भागा था, उसने अपना नाम **सावेज** बताया, जामातलाशी से कुछ बरामद नहीं हुआ। शेष दो व्यक्तियों में जिनके नाम **तालिब उर्फ भूरा** बताया, उसकी जामातलाशी से **एक अदद तमन्चा 32 बोर** पहनी पेंट की बांयी फेंट से तथा पेंट की दाहिनी जेब से दो कारतूस 32 बोर बरामद हुआ। हस्बजैल हुलिया मुताबिक फर्द बरामद हुए। तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम सादाब बताया, उसकी जामातलाशी से दाहिने हाथ से पकड़े एक तमन्चा 315 बोर हस्ब मुताबिक फर्द तथा पहनी पेंट की दाहिनी जेब से एक कारतूस 315 बोर बरामद

हुआ। तमन्चे की नाल से एक खोखा कारतूस, जिसमें ताजा फायर करने की बू आ रही थी, बरामद हुआ। उन लोगों से कन्टेनर को पीछे से खुलवा कर देखा तो कन्टेनर में कुल 17 गौवंश के पशु खडे, पडे रस्सियों से जकड़े जिनमें 14 गौवंसीय साँड, दो गौवंसीय गाय जिन्दा तथा एक गोवसीय गाय मृत अवस्था में बरामद हुए तथा कन्टेनर के केबिन से एक रस्सा करीब 10 मीटर लम्बा प्लास्टिक व दो छूरी लोहा तथा एक दाँव (गंडासा) लोहा, बैंटीदार, बरामद हुआ। आपसी कर्मचारियों के सहयोग से गौवंसीय पशु को बंधनमुक्त किया, जो 14 रस्सियों से आपस में जकड़े हुए थे। अभियुक्तगण को उनके जुर्म धारा–3/25 आयुध अधिनियम, 307 भा0दं0सं0 व धारा–3/5क/8/5 गौवध निवारण अधिनियम व 329 आई0पी0सी0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम से अवगत कराते हुए हिरासत में लिया गया। इस दौरान जनता के गवाह फराहम करने की कोशिश की तो आपसी भलाई–बुराई का कहकर कोई तैयार और अपने नाम बताये बिना चलते बने। बरामद तमन्चा व कारतूस अभियुक्तगण वार अलग–अलग कपडे में रखकर सील सर्वेमोहर किया। छूरी व दाँव को अलग कपड़े में रखकर व रस्सा रस्सियों को अलग कपडे में रखकर सील सर्वे किया। नमूना मोहर बनाया गया। मौके पर गिरफ्तारी मैंमो तैयार किया गया तथा मौके पर ही फर्द एस0ओ0 बच्चू सिंह द्वारा बोल–बोलकर शब्द–ब–शब्द मुझ एस0आई0 द्वारा लिखकर सभी हमराहीयान व अभियुक्तगण के हस्ताक्षर व आलामात बनवाये गये। फर्द की नकल अभियक्तगण की आपसी सहमति से तालिब उर्फ भूरा को दी गई व गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण से बरामदा माल जो कब्जे पुलिस में लिया गया व कन्टेनर व गौवंसीय पशु को थाने लेकर आये। थाने आकर एस0ओ0 साहब ने अभियक्तगण की गिरफ्तारी सूचना उनके परिजनों को उचित माध्यम भिजवायी और एस0ओ0 महोदय द्वारा दूसरे दिन दिनाँक–23.10.2022 को बरामदा गौवंसीय पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण पशु चिकित्साधिकारी नरौरा द्वारा कराया व मृतक गाय का पोस्टमार्टम कराया। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद असल फर्द कागज संख्या–4ए/3 ता 4ए/4 देखकर कहा कि ये वही फर्द है, जो मेरे द्वारा शब्द–ब–शब्द थानाध्यक्ष बच्चू सिंह के बोलने पर लिखी गई थी, जो मेरे हस्तलेख में है, जिस पर एस0एच0ओ0 महोदय ने फर्द को स्वयं पढ़कर व मुझसे सुनकर अपने हस्ताक्षर किये थे। मैने भी अपने हस्ताक्षर किये थे। हमराहीगण पुलिस टीम ने भी अपने–अपने हस्ताक्षर किये थे तथा तीनों अभियुक्तगण द्वारा भी फर्द को सुनकर तथा फर्द की कार्बन कापी देकर मौके पर ही हस्ताक्षर कराए गए थे। फर्द पर पूर्व से ही प्रदर्श क–1 पड़ा हुआ है। इस सम्बन्ध में विवेचकों ने मुझसे पूछताछ की थी और मेरी निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण किया था।

जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि हमारी थाने से रवानगी वास्ते दखेरख शान्ति व्यवस्था, चैंकिग व तलाश वांछित अपराधीगण हुई थी। इस समय मुझे ध्यान नहीं है कि मैं किन–किन वाँछित अपराधियों की तलाश के लिए गया था। जी0डी0 वाँछित अपराधियों के रवानगी के समय नाम नहीं लिखे गये थे। एस0ओ0 साहब व मेरे कौन–कौन से वाँछित अपराधी से इस समय मुझे ध्यान नहीं है। वाँछितो के क्राईम नम्बर व निवास स्थान भी मुझे इस

समय याद नहीं है। घटना स्थल थाने से रवाना होने के बाद हम लोग सरकारी गाडी से जरगवा रोड होतु हुए फौजी बम्बा व बार्डर तक गये थे, जिस समय एस0ओ0 को सूचना मिली उस समय फौजी चौराहे के पास था। जरगंवा पर हम रूके नहीं थे, धीरे–धीरे जीप से गश्त करते हुए निकल गये थे। फौजी चौराहे पर भी हम गश्त करते हुए निकल गये थे, वहाँ पर भी नहीं रूके थे। शाम के करीब 6 बजे एस0ओ0 साहब को सूचना मिली थी। थाने से हम लोग जी0डी0 रवानगी करके चले थे। जी0डी0 रवानगी में किसी वाँछित अपराधिगण निवासी अ0सं0 का विस्तृत विवरण अंकित नहीं था। हमारी पुलिस गाडी पर उस समय कौन ड्राईवर था, इस समय मुझे याद नहीं है। फर्द पर अन्य ड्राईवर के हस्ताक्षर कराये थे या नहीं इस समय याद नहीं है। घटना स्थल से फौजी चौराहा करीब 5 किमी0 की दूरी पर है। पप्पू होटल घटना स्थल से करीब एक से डेढ किलो मीटर पर है। पप्पू के होटल से आस–पास कोई दुकान व होटल नहीं है। होटल पर हम लोग नहीं रूके थे। गिरफ्तारी प्रपत्र मेरे द्वारा व मेरे हस्तलेख में हे। यह कहना सही है कि गिरफ्तारी प्रपत्र पर गिरफ्तारी स्थन व समय अंकित नहीं है, जो सहवन रह गया। यह कहना सही है कि स्थानीय साक्षियों का कॉलम भी निल है। हमें इतना समय नहीं मिला था कि हम एक–दूसरे की जामातलाशी ले सकें। थाने से हमें घटना स्थल पर पहुँचने में पौना घंटा (45–50) मिनट लगा था। इस समय मुझे ध्यान नहीं है कि पशुओं की सुपुर्दगीनामा गौशाला दिये गये थे, अब ध्यान नहीं किसके हस्तलेख में था। जो सुपुर्दगीनामा पत्रावली पर उपलब्ध है, जिस पर सुपुर्दगार ग्राम प्रधान कृष्णादेवी के हस्ताक्षर कर सुपुर्द किये गये है। उस सुपुर्दगीनामें पर किसी पुलिस अधिकारी व कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना सही है कि मुकदमें से सम्बन्धित बरामद माल मेरे सामने न्यायालय में नहीं है। एक रस्सा जो बरामद हुआ था, जो 10 मीटर का था, उसे ध्यान है शेष 14 रस्सीयाँ बरामद हुई थी, उनकी लम्बाई इस समय याद नहीं है। बरामद छूरी व दांव की लम्बाई व चौडाई फर्द में अंकित है, इस समय मुझे ध्यान नहीं है। पूरी कार्यवाही में करीब पौने घण्टे का समय लगा था। सम्भवतः नक्शा नजरी मेरी निशानदेही पर बनाया गया था, जिस स्थान पर मैंने सडक किनारे कुद कर जान बचायी थी वह स्थान घटना स्थल से करीब 300 मीटर दूरी पर था। कूदकर जान बचाने वाले स्थान का नक्शानजरी बनाया गया था। मैंने विवेचक को घटना स्थल पर वह स्थान बताया था, जहाँ हमारी जीप रोक ली थी। यदि वह स्थान दरोगाजी ने चिन्हित नहीं किया हो, मैं इसकी वजह नहीं बता सकता हूँ। घटना स्थल से उत्तर दिशा में करीब 100 कदम की दूरी पर एन0ए0पी0पी0 की दीवार है। दीवार की ऊँचाई करीब 7–8 फिट झाडी पेडों के पास है। मैंने दरोगाजी को दीवार दिखाई थी, यदि उन्होंने नक्शा नजरी में नहीं दर्शायी हो तो वह कोई वजह नहीं बता सकता। पहले हमने दो अभियुक्त को घेरकर पुलिसवालों ने सम्मिलित रूप से पकडे थे। यह ध्यान नहीं है कि पहले किसने–किसको पकडा था। यह ध्यान नहीं है कि किस मुल्जिम का किसने पीछा किया और किसने पकडा, लेकिन सी0आई0एस0एफ0 वालों की मदद से पकडा था। यह कहना सही है कि सभी सी0आई0एस0एफ0 के जवानों को

फर्द का गवाह नहीं बनाया था। यह बात भी सही है कि किसी सी0आई0एस0एफ0 के जवानों का नाम भी नोट नहीं किया था। फर्द की नकल सम्भवतः अभियुक्त तालिब को दी थी। यह जानकारी नहीं है कि फर्द अभियुक्त ने रखी थी या फेंक दी थी। किसी पुलिसपार्टी को मुल्जिमानों की ओर से फायर करने से कोई चोट नहीं आयी थी। यह कहना भी सही है कि अभियुक्त सावेज से कोई वस्तु बरामद नहीं हुई थी। फर्द के ऊपर हम सब पुलिसकर्मी के हस्ताक्षर है, किन्तु अभियुक्तगण के हस्ताक्षर नहीं है, किन्तु नकल देने के बाद फर्द पर अभियुक्तगण के हस्ताक्षर कराये गये। जहाँ मुल्जिमानों के हस्ताक्षर है, वहाँ केवल मेरे व बच्चू सिंह के हस्ताक्षर है। यह कहना गलत है कि गिरफ्तारी प्रपत्र पर गिरफ्तारी का समय व स्थान इसलिए अंकित नहीं है कि समस्त कार्यवाही थाने पर बैठकर की हो। यह कहना गलत है कि ऐसी कोई घटना न घटी हो, इसलिए हमने किसी जनता व सी0आई0एस0एफ0 के जवान गवाह न बनाये हो। यह कहना भी गलत है कि हमारे द्वारा समस्त कार्यवाही थाने पर बैठकर पूर्ण की हो।

14. **<u>अभियोजन साक्षी संख्या–3 सेवानिवृत्त उप–निरीक्षक खैमीमल मौर्य,</u>** इस मामले के विवेचक है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनाँक–22.10.20 को मैं थाना रामघाट पर बतौर उप–निरीक्षक तैनात था। इसी दिन मु0अ0सं0–154 / 20 अन्तर्गत धारा–3 / 25 आयुध अधिनियम बनाम तालिब आदि की विवेचना प्रभारी निरीक्षक के निर्देश पर मेरे द्वारा ग्रहण की गई। दिनाँक–23.10.20 को मेरे द्वारा सी0डी0नम्बर–1 किता की गई, जिसमें नकल चिक, नकल रपट, वादी बयान, बयान गवाह, बयान अभियुक्त सी0डी0 में अंकित किये गये। दिनाँक–24.10.20 को वादी की निशानदेही पर घटना स्थल का नक्शानजरी बनाया। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या–7ए को देखकर कहा कि यह वही घटना स्थल का **नक्शा नजरी** है, जो मेरे द्वारा अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किया गया है, जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। दिनाँक–21.12.2020 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा अभियोजन की स्वीकृति लेने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचा तो जिलाधिकारी महोदय नहीं मिले। दिनाँक–21.12.2020 को अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति सी0डी0 अंकित की गई। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद कां0सं0–9ए को देखकर कहा कि ये वही **अभियोग चलाये जाने की स्वीकृति** है जो मेरे द्वारा जिला मजिस्ट्रेट बुलन्दशहर से प्राप्त की गई थी, जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। मु0अ0सं0–154 / 20 अन्तर्गत धारा–3 / 25 आयुध अधिनियम वादी एस0ओ0 श्री बच्चू सिंह थाना रामघाट जिला बुलन्दशहर की फर्द बरामदगी के आधार पर थाना रामघाट पर अभियुक्त तालिब उर्फ भूरा उर्फ तितर का चालान अन्तर्गत धाारा–3 / 25 आयुध अधिनियम आरोप पत्र संख्या–168 / 2020 दिनाँक–21.12.2020 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या–3ए / 4 को देखकर कहा कि ये वही **आरोप पत्र** है, जो मेरे द्वारा किता किया गया है, जिस पर मेरे व थाना प्रभारी के हस्ताक्षर है, जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया।

जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि इस मुकदमें की विवेचना मुझे दिनाँक–23.10.2020 को प्राप्त हुई थी। सी0डी0 की कार्यवाही मेरे द्वारा सी0सी0टी0एन0एस0 को बोल–बोलकर किता की गई थी। इस मुकदमें के वादी एस0ओ0 बच्चू सिंह मुझसे सीनियर थे, जिस समय इस मुकदमें की टीम थाने से रवाना हुई थी, उस समय मैं थाने पर नहीं था। गवाह वादी के बयान दिनाँक–23.10.2020 को थाने पर ही लिये थे। घटना स्थल पावर प्लाण्ट की बाऊण्ड्री से 50 कदम की दूरी पर था। वादी व अन्य पुलिस पार्टी द्वारा यह बताया गया कि हमें फौजी चौराहे पर फोन द्वारा सूचना मिली थी उसका समय व मोबाईल नम्बर क्या था, उत्तर–यह मेरी विवेचना से सम्बन्धित नहीं था, इसलिए इस सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं की। यह बात सही है कि भागने वाले एक अभियुक्त को पकड़ने के लिए सी0आई0एस0एफ0 वाले ने मदद की थी। सी0आई0एस0एफ0 वाले कर्मचारियों के नाम व पते क्या था, यह मेरी जानकारी में नहीं है। यह कहना सही है कि मैंने उनके बयान लेने का प्रयास नहीं किया था। बरामद रस्सी की लम्बाई 01 मी, 10 मी0 शेश की 5–6 मीटर थी। पुलिसपार्टी ने आपस में जामा–तलाशी ली या नहीं ली थी, इस तथ्य की मुझे जानकारी नहीं है। नक्शा नजरी मेरे द्वारा एस0ओ0 साहब की निशानदेही पर दिनाँक–24.10.20 को बनाया गया था, जिस समय घटना स्थल का निरीक्षण किया था, उस समय वादी के अलावा कोई अन्य था या नहीं, उत्तर–एस0ओ0 साहब के साथ मैं व हमराह कर्मचारीगण मौजूद थे। वहाँ पर कोई पब्लिक का आदमी मौजूद नहीं था, जो मौके की जानकारी देता। घटना स्थल पर मैं 15–20 मिनट रूका था। यह कहना सही है कि एन0ए0पी0पी0 की दीवार नक्शा नजरी में प्रदर्शित नहीं की थी। भागे गये अभियुक्त सादाब की गिरफ्तारी वाला स्थान भी नक्शा नजरी में प्रदर्शित नहीं दिखाया है। मैंने अभियुक्त तालिब का आरोप पत्र अनुमोदन के बाद दाखिल किया था, अनुमति मेरे द्वारा 22.12.20 को ली गई थी। दो बार मैं डी0एम0 साहब के यहाँ पर गया था, किस–किस तारीख को गया था, मुझे याद नहीं है। अनुमति मुझे दूसरी बार में मिली थी, पहली बार डी0एम0 साहब नहीं मिले थे। मैंने गिरफ्तारी प्रपत्र अभियुक्त तालिब उर्फ भूरा उर्फ तितर का अवलोकन किया गया। गिरफ्तारी प्रपत्र में अभियुक्त की गिरफ्तारी का स्थान व समय अंकित है या नहीं, मुझे नहीं पता। गिरफ्तारी प्रपत्र में स्थानीय साक्षी वाले कालम में स्थान रिक्त है या नहीं ये भी मुझ नहीं पता। यह कहना गलत है कि मैंने एस0ओ0 साहब के दबाव में गलत आरोप पत्र प्रेषित किया हो, और गलत विवेचना की हो। यह भी कहना गलत है कि सभी कार्यवाही मैंने थाने पर बैठकर की हो।

15. **<u>अभियोजन साक्षी संख्या–4 कां0 आशीष कुमार</u>,** प्रथम सूचना लेखक है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनाँक–22.10.20 को मैं थाना रामघाट पर बतौर सी0सी0 तैनात था, उस दिन थानाध्यक्ष के द्वारा दी गई लिखित फर्द के आधार पर मु0अ0सं0–156 / 20 अन्तर्गत धारा–307 भा0दं0सं0 थाना रामघाट बनाम तालिब उर्फ भूरा व दो अन्य नफर के विरूद्ध पंजीकृत हुआ था। मेरे द्वारा उक्त मुकदमें की चिक एफ0आई0आर0

लिखित फर्द के आधार पर शब्द–ब–शब्द बोलकर का0 रीतू से टाईप कराकर कम्प्यूटर से तैयार कर किता की गई, जिसका खुलासा उसी दिन जी0डी0 नम्बर–39 समय 22.20 बजे दिनाँक–22.10.20 पर किया था। साक्षी को पत्रावली पर पेपर संख्या–4ए/1 लगायत 4ए/2 दिखाया गया तो साक्षी ने कहा कि यह वही चिक एफ0आई0आर0 है, जो मरे द्वारा बोल–बोलकर टाईप कर कम्प्यूटर पर तैयार कर किता किया गया था, जिस पर थाने की मोहर लगी है और थाना प्रभारी के हस्ताक्षर मौजूद है, जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया। साक्षी को पत्रावली पर पेपर संख्या–6ए दिखाया गया तो साक्षी ने कहा कि यह वही जी0डी0 नम्बर–39 है, जो मेरे द्वारा कम्प्यूअर पर बोल–बोलकर टाईप कराई थी, जिस पर **प्रदर्श क–6** डाला गया। दिनाँक–22.10.2020 को एस0एच0ओ0 द्वारा दी गई लिखित फर्द के आधार पर मु0अ0सं0–157/2020 अन्तर्गत धारा–3/5ए/8 गौवध अधिनियम एवं धारा–11 पशु क्रूरता अधिनियम व धारा–429 भा0दं0सं0 बनाम तालिब उर्फ भूरा व अन्य दो नफर के विरूद्ध थाना रामघाट पर अभियोग पंजीकृत हुआ था। उपरोक्त मुकदमें की चिक एफ0आई0आर0 मेरे द्वारा दी गई लिखित फर्द के आधार पर शब्द–ब–शब्द कां0 रीतू से तैयार कर किता की गई, जिस पर **प्रदर्श क–7** डाला गया, जिसका खुलासा **जी0डी0 संख्या–39** पर किया गया जो पत्रावली पर प्रदर्श क–6 के रूप में संलग्न है। दिनाँक–22.10.2020 को दी गई एस0एच0ओ0 के द्वारा लिखित फर्द के आधार पर अपराध संख्या–154/20 अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम थाना रामघाट बनाम तालिब उर्फ भूरा का अभियोग पंजीकृत हुआ, जिसकी चिक एफ0आई0आर0 लिखित फर्द के आधार पर मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर कां0 रीतू द्वारा शब्द–ब–शब्द अंकित की गई, जिस पर थाने की मोहर लगी हुई है और उस पर थाना प्रभारी के हस्ताक्षर मौजूद है, जिस पर **प्रदर्श क–8** डाला गया, जिसका खुलासा जी0डी0 संख्या–6 के रूप में मौजूद है। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। उप–निरीक्षक पूरन सिंह की मृत्यु हो चुकी है, जो इस मुकदमें के विवेचक रहे हैं। मैं उनके साथ थाना रामघाट पर तैनात रहा था। मैं उनके लेख व हस्ताक्षर में अच्छी भली–भाँति पहचानता हूँ। अभियुक्तगण तालिब उर्फ भूरा उर्फ तितर, शादाब व सावेज के विरूद्ध धारा–307 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र संख्या–137/20 दिनाँक–27.10.20 को न्यायालय में प्रेषित किया गया है, जिस पर उप–निरीक्षक पूरन सिंह के हस्ताक्षर मौजूद है, मैं इन्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–9** डाला गया, जो पत्रावली पर पेपर संख्या–3ए/1 ता 3ए/4 मौजूद है। पत्रावली पर पेपर संख्या–7ए को देखकर कहा कि यह वही नक्शा नजरी है, जो उप–निरीक्षक पूरन सिंह के हस्तलेख व हस्ताक्षर में मौजूद है। मैं इनके हस्ताक्षर को अच्छीतरह से पहचानता हूँ। **नक्शानजरी** पर **प्रदर्श क–10** डाला गया। सेंशन केस संख्या–62/20 सरकार बनाम तालिब उर्फ भूरा आदि अन्तर्गत धरा–3/5ए/8 गौवध अधिनियम एवं धारा–11 पशु क्रूरता अधिनियम एवं 429 भा0दं0सं0 की पत्रावली पर मौजूद पेपर संख्या–3ए/1 ता 3ए/4 कम्प्यूटर द्वारा तैयार किया गया आरोप पत्र जिस पर विवेचक पूरन सिंह (मृतक) के हस्ताक्षर मौजूद है, जो अभियुक्तगण

तालिब उर्फ भूरा उर्फ तितर, शादाब व सावेज के विरूद्ध धारा–3/5क/8 गौवध अधिनियम व धारा–11 पशु क्रूरता अधिनियम व धारा–429 भा0दं0सं0 में दिनाँक–27.10.2020 को **आरोप पत्र संख्या–138/2020** माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। आरोप पत्र पर विवेचक पूरन सिंह (मृतक) साक्षी के हस्ताक्षर को देखकर कहा कि मैं उनके हस्ताक्षर को अच्छी तरह से पहचानता हूँ जो उप–निरीक्षक पूरन सिंह के हस्ताक्षर है, जिस पर **प्रदर्श क–12** डाला गया।

जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि मैं थाना रामघाट पर लगभग तीन महीने रहा था। कब से कब तक रहा था, ये ध्यान नहीं है। मैं थाना रामघाट पर लगभग तीन महीने रहा था। कब से कब तक रहा था, ध्यान नहीं है। पूरन सिंह की मृत्यु कब हुई थी, ध्यान नहीं है। मैं उप–निरीक्षक पूरन सिंह की किसी भी कार्यवाही में साथ नहीं रहा था और न ही उनके द्वारा की गई लिखा पढी में उनके साथ रहा था। महिला कां0 रीतू से इस मुकदमें की चिक एफ0आई0आर0 टाईप कराई थी। पुलिस पार्टी हमारे पास थाने में 9.30 व 10.00 बजे के बीच आ गई थी। कार्यवाही हमने 10 मिनट के बाद शुरू कर दी थी, कार्यवाही करने में कितना समय लगा होगा ध्यान नहीं है। पुलिस की रवानगी के समय मेरी डयूटी थाने पर थी या नहीं मुझे ध्यान नहीं है। घटना स्थल पर मैं कभी भी नहीं गया था। इसलिए मैं मौके की स्थिति के बारे में सही नहीं बता सकता। दरोगाजी ने मेरा बयान कभी नहीं लिया था। नक्शा नजरी घटना स्थल का दरोगाजी ने कब तैयार किया था, मैं नहीं बता सकता। दरोगाजी के द्वारा किसी भी अनुमति से सम्बन्धित लिखित पढत के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। वापसी में पुलिस पार्टी के सदस्य दुर्गेश, पंकज, नरेन्द्र, चालक सोहनवीर थे। यह बात सही है कि गिरफ्तारी प्रपत्र व गिरफ्तारी सूचना पर जहाँ तहा ओवर राईटिंग है और कहीं पर अलग पैन से भी लिखा गया है। यह बात सही है इस मुकदमें से सम्बन्धित बरामद माल आज मेरे सामने न्यायालय में उपस्थित नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि किस अभियुक्त से क्या माल बरामद हुआ था। घटना स्थल थाने से लगभग डेढ़ से दो किलोमीटर दूरी पर है। यह कहना सही है कि किसी भी गिरफ्तारी प्रपत्र पर गिरफ्तारी का समय व दिनाँक अंकित नहीं है। यह बात सही है, आरोप पत्र नक्शा नजरी व अनुमति में दरोगाजी के साथ मैं नहीं रहा हूँ। यह कहना गलत है कि मैंने कानूनी सलाह दरोगाजी के हस्तलेख पहचानने वाली बात बतायी थी। यह कहना गलत है कि मैंने थानाध्यक्ष के दबाव में आकर झूँठी चिक एफ0आई0आर0 करी हो और अन्रू कार्यवाही की हो।

16. **अभियोजन साक्षी संख्या–5 चिकित्सक मनोज कुमार,** पशु चिकित्साधिकारी है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनाँक–23.10.2020 को मैं पशु चिकित्सालय नरौरा में चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात था। उस दिन थाना प्रभारी रामघाट पूरन सिंह द्वारा मुझे फोन पर सूचना दी गई कि रामघाट रोड थाने के पास एक कन्टेनर पकड़ा गया है, जिसमें 17 गौवंश पकड़े गये है, जिनमें कुछ घायल अवस्था में थे और 16 पशु जिन्दे थे और 01 पशु मृत अवस्था में था, जो प्लास्टिक के रस्से में कन्टेनर में बंधे हुए थे, कुछ गौवंश नीचे पडे थे और

दबे पडे थे, जिसमें से ज्यादातर पशु कमजोर थे, भूखे प्यासे थे, दो पशु नीचे उतरने पर पैर से लंगडाते हुए चल रहे थे, 14 पशु नर थे, तीन गौवंश मादा थे, जिनमें से एक गौंवश मादा थी, जिसका मेरे द्वारा पी0एम0 किया गया, जिसकी मृत्यु दम घुटने से हुई थी, एक नर गौवंश कटा हुआ था, मृतक गौवंश का पंचायतनामा शुरू सुबह 9.30 बजे दिनाँक–23.10.2020 को शुरू किया गया था। मृतक गौवंश का पी0एम0 थाना रामघाट के पास किया गया, मृतक पशु की उम्र 07 साल लगभग, रंग भूरा सीग लगभग 05 ईंच पूँछ काली थी, गले की श्वांस नली व फेफड़े कन्जेस्टिड थे, दोनों फेफडे कन्जेस्टिड थे। हृदय व बडी रक्त वाहिनी खून से भरी हुई थी, पेट फूला हुआ था। बदबूदार गैंस से पेट भरा हुआ था। बडी ऑत में कठोर गौबर भरा हुआ था। मृत्यु का सम्भावित समय पी0एम0 से 18 घण्टे पूर्व का था। मरे पशु की हालत देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता कि इन्हें पालने के लिए ले जा रहे हो, क्योंकि इनकी हालत बहुत खराब थी। साक्षी ने पत्रावली पर कागज संख्या–10ए को देखकर कहा कि यह वही पकडे गये **गौंवशों की परीक्षण रिपोर्ट** है, जो उसके हस्तलेख में तैयार की गई है और उसके हस्ताक्षर है, रिपोर्ट पर **प्रदर्श क–13** डाला गया। पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या–11ए को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही मृत गाय की पी0एम0 रिपोर्ट है, जिसका **पी0एम0** मेरे द्वारा किया गया है, जिसकी रिपोर्ट मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार की गई है, जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया।

<u>जिरह</u> में इस साक्षी ने कथन किया है कि मैं पशु चिकित्सालय नरौरा पर वर्ष 2017 से कार्यरत हूँ। सूचना मुझे उप–निरीक्षक पूरन सिंह द्वारा प्राप्त कराई गई थी। सूचना मुझे 8.30 बजे दिनाँक–23.10.2020 को दी गई थी। मैंने पशुओं का मेडीकल थाना रामघाट के पास सडक के किनारे जहाँ पर बालू के ढेर थे और प्राईवेट मैदान पर किया था। सभी पशु रस्सी से बंधे हुए थे। मुझे सूचना थाने द्वारा सुबह 8.30 बजे मिली थी, थाने से उनका चिकित्सालय करीब 7–8 किलोमीटर दूर है। हम मौके पर अस्पताल से अपने प्राईवेट वाहन से गये थे, मेरे साथ पशु सहायक अशोक कुमार था एक और पशु सहायक मेरे साथ था, उसका नाम मुझे याद नहीं है। सह सहायको के डॉक्टरी मुआयने पर हस्ताक्षर नहीं कराते है। पहले मैने पी0एम0 किया था, उसके बाद मैंने स्वास्थ्य परीक्षण अन्य पशुओं का किया था। मौके पर मैं लगभग 15 मिनट बाद पहुँच गया था। पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण हमने लगभग एक घण्टे में कर लिया था। एक पशु जो मैंने अपनी मुख्य परीक्षा में करा हुआ बताया है, उसकी पीट पर रस्सी या वाहन पर चढने व उतारते समय का निशान है, वह किसी धारदार हथियार से चोट आना सम्भव नहीं है, जितने भी पशु परीक्षण में आये कमजोर लिखा है, वह करीब एक या दो महीने पुरानी कमजोरी हो सकती है। इस सम्बन्ध में मेरा दरोगाजी ने बयान नहीं लिया था। यह कहना गलत है कि मैंने पुलिस के दबाव में आकर पशुओं का झूँठा चिकित्सीय परीक्षण दिखाया हो। यह कहना गलत है कि मैं आज न्यायालय में झूँठा बयान दे रहा हूँ।

17. अभियोजन की ओर से उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अभियोजन की याचना पर अभियोजन का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया। अभियुक्तगण न्यायालय उपस्थित आये। अभियुक्तगण के बयान दिनाँक–23.06.2026 को अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० अभिलिखित किये गये, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन कथानक को गलत व झूंठा रंजिशन होना कहा गया है और कथन किया है कि–मैं निर्दोष हूँ, उन्हे फर्जी व पार्टीबन्दी के कारण झूँठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा सफाई साक्ष्य देने का कथन किया गया।

18. सफाई साक्ष्य में अभियुक्तगण की ओर से कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्यप्रस्तुत नहीं की गई है।

19. उभयपक्ष की याचना पर उभयपक्ष का साक्ष्य अवसर समाप्त किया गया और प्रस्तुत दण्ड वाद बहस हेतु नियत किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस की गई।

बहस–विश्लेषण

20. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध यह मुकदमा झूँठा रंजिशन लिखाया गया है। अभियुक्तगण से कोई बरामदगी नहीं हुई है। अभियुक्तगण से कथित बरामद तमन्चे व कारतूस की कोई शिनाख्त नहीं है। अभियोजन की ओर से 05 गवाह प्रस्तुत किये गये है, जिनके बयानों में घोर विरोधाभाष है। बयानों के आधार पर घटना का कोई समर्थन नहीं मिलता है। घटना के बाद चिकित्सक का कोई भी बयान नहीं लिया गया है। घटना का कोई भी स्वतन्त्र चश्मदीद साक्षी नहीं है। मुल्जिमान की कोई शिनाख्त परेड़ नहीं कराई गई है। बरामद शुदा तमन्चे की कोई भी विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट नहीं है। विवेचक द्वारा सी0डी0 में लिखे गये बयानों में घोर विरोधाभाष है। घटना का कोई भी मौके का गवाह नहीं है। मौके से बरामद किया गया कोई भी सामान न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। कथित बरामद पशुओं को किसकी अभिरक्षा में दिया गया यह स्पष्ट नहीं है न ही अभिरक्षार्थ को साक्ष्य में पेश किया गया है। मौके के कथित सी0आई0एस0एफ0 के किसी भी जवान को पेश नहीं किया गया है। नक्शा नजरी गलत बनाया गया है, जिससे घटना स्थल साबित नहीं होता है। अभियोजन की ओर से जो गवाह पेश किये गये है वह पुलिस कर्मचारीगण है विवेचक द्वारा सम्पूर्ण विवेचना दोषपूर्ण की गई है और गलत तथ्यों के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

21. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि–विवेचक द्वारा घटना के सत्य तथ्यों के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध

आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किये गये है और अभियुक्तगण से बरामदगी सही दिखाई गई है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत सभी साक्षी विश्वसनीय है। सभी साक्षीगण ने घटना का समर्थन किया है। बयानों में घटना के सम्बन्ध में आये हुए सूक्ष्म विरोधाभाष का कोई भी लाभ अभियुक्तगण को नहीं दिया जा सकता। पुलिस की घटना वास्तविक तथ्यों पर आधारित है। अभियुक्तगण की ओर से बचाव में प्रस्तुत साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभियुक्तगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गई है।

22. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

23. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि सत्र वाद संख्या–60 / 2022 के मुकदमा वादी की फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 के आधार पर अन्तर्गत धारा–307 भा0दं0सं0 थाना रामघाट पर दिनाँक–22.10.2020 को अभियुक्तगण तालिब उर्फ भूरा, सावेज व सादाब के विरूद्ध पंजीकृत किया गया और बाद विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्तगण तालिब उर्फ भूरा, सावेज व सादाब के विरूद्ध धारा–307 भा0दं0सं0 एवं धारा–3 / 5ए / 8 गौवध अधिनियम एवं धारा–11 पशु क्रूरता अधिनियम एवं धारा–429 भा0दं0सं0 तथा अभियुक्त तालिब उर्फ भूरा के विरूद्ध धारा–3 / 25 आयुध अधिनियम में पृथक–पृथक रूप से प्रेषित किये गये।

24. अभियोजन द्वारा अपने कथानक के समर्थन में कुल **05 गवाह** प्रस्तुत किये गये है, जिन्हें न्यायालय में परीक्षित कराया गया है, जिनमें तथ्य का दो साक्षीगण परीक्षित कराये गये है जो निम्नवत हैः–

<u>पी0डब्लू0–1</u> ने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनाँक–22.10.2020 को मुखबिर की सूचना पर गाँव जरगँवा के पास पहुँचे है। पप्पू होटल के पास उक्त कन्टेनर को रूकने का इशारा किया नहीं रूका। ओवर टेक करते हुए बम्बा पुल से पहले गाडी आगे कर रोका। जैसे ही कन्टेनर रूका, उप–निरीक्षक बुद्धि प्रकाश गौतम एमदम कन्टेनर के आगे होकर ड्राईवर की तरफ दौड़े तो ड्राईवर ने एकदम जान से मारने की नीयत से कन्टेनर ऊपर चढ़ाने की कोशिश की तथा दाहिनी साईड होकर कन्टेनर दौड़ा दिया। उप–निरीक्षक बुद्धिप्रकाश ने एक दम सड़क की खन्दी में कूदकर जान बचायी। पुनः सभी लोग जल्दी से गाड़ी में बैठकर पीछा करने लगे। ड्राईवर ने एकदम पेट्रोल पम्प से आगे कन्टेनर बांयी तरफ खाली जगह में खडी झाड़ियों की तरफ उतार दिया और केबिन में बैठे एक व्यक्ति ने आवाज दी कि देखते क्या हो, मारो गोली। हम लोग जैसे ही पकड़ने को तेजी से आगे बढ़े तो उक्त लोगों ने हम पुलिस वालों को जान से मारने की नीयत से हम लोगों के ऊपर एक फायर किया, जिससे हम लोग आड़ लेकर बाल–बाल बचे। ट्रक की (कन्टेनर) खिड़कियों से कूदकर

तीन व्यक्ति भागने लगे। हम लोगों ने पीछा कर दो व्यक्तियों को करीब 50 कदम की दूरी पर पकड़ लिया। एक व्यक्ति पावर प्लान्ट की दीवार कूद गया। शौर मचाया तो सी0आई0एस0एफ0 के जवान जो दीवार के साथ गश्त में थे, उनके सहयोग से आवश्यक बल प्रयोगकर घेरकर पकड़ लिया।

जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि थाने से रवानगी दिनाँक–22.10.2020 को समय 17.21 बजे चैंकिग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु तलाश वाँछित देखरेख शांति व्यवस्था में हुई थी। इस समय ध्यान नहीं है कि हम किस वांछित अभियुक्त की तलाश में निकले थे। मैंने विवेचक को वह नम्बर नहीं बताया था, जिस नम्बर से मुझे कॉल आयी थी। हम जी0डी0 में रवानगी करके चले थे। जी0डी0 में उस अपराध संख्या का विवरण अंकित नहीं है, जिसमें वांछित अभियुक्त की तलाश हेतु निकले थे, जिस गाडी से रवाना हुए थे वह गाडी सरकारी थी। उसका नम्बर–यू0पी0–13ए0जी0–0465 था। मुझे इस समय ध्यान नहीं है कि फर्द पर गाडी के चालक कां0 के हस्ताक्षर कराये थे या नहीं। गिरफ्तारी प्रपत्र पर गिरफ्तारी का समय अंकित नहीं है। इस पर जहाँ गिरफ्तारी की गई, वहाँ आबादी नहीं थी, किसी स्थानीय साक्षी का नाम अंकित नहीं है। निल है। मुल्जिमान के द्वारा हम लोगों पर केवल एक फायर किया गया था तब पुलिस पार्टी अलग–अलग घेरा बन्दी कर रहे थे। मुझे यह नहीं पता किस पुलिस कर्मी ने किस अभियुक्त को पकड़ा था। सी0आई0एस0एफ0 यूनिट वालों से जवानों से गवाह बनने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने गवाही के लिए मना कर दिया था। सी0आई0एस0एफ0 के जवानों ने गवाही के लिए मना कर दिया था यह मेरे द्वारा फर्द में अंकित नहीं किया गया है, न ही उन जवानों के नाम अब बता सकता हूँ। घटना के समय हमने पब्लिक का कोई गवाह नहीं बनाया। उन्होंने गवाही के लिए मना कर दिया था। जिस समय हमने गाडी आती दिखाई थी, उस समय मैं उप–निरीक्षक बुद्धि प्रकाश गौतम, कां0 दुर्गेश, कां0 नरेन्द्र, कां0 पंकज, कां0 चालक सोहनपाल भी मौजूद थे। घटना स्थल पर पहुँचने से पहले हम पुलिस वालों ने आपस में जामातलाशी ली थी। फर्द में इस तथ्य को अंकित नहीं पाया, जिस कारण मैं नहीं बता सकता कि किस पुलिसकर्मी ने किस पुलिस कर्मी की तलाशी ली थी। फर्द में इस बात का उल्लेख नहीं किया कि वह गौवशों को कहाँ से ला रहे थे। गौवशों की गिनती गाड़ी के अन्दर भी की थी और गाड़ी से उतारकर भी की थी। गौवशों की गिनती किस पुलिसकर्मी ने की थी, ध्यान नहीं। गौवशों को गाडी सहित थाने लाए थे और थाने लाने के बाद गौवशों को गोशाला में छुड़वा दिया था। सुपुर्दगीनामा पत्रावली पर संलग्न है। यह बात सही है इस सुपुर्दगीनामा पर किसी पुलिस कर्मी के हस्ताक्षर नहीं है, न थाने की मोहर है। सुपुर्दगी नामें पर गौवशों के आकार, रंग व उसकी बाबत कोई जिक्र नहीं है। बरामद रस्सी वही रस्सी है, जो मौके पर बरामद हुई थी। इन पर न खून लगा है, न गोबर लगा है, न मिटटी लगी है। बरामद छुरी नई है, धार टूटी है, खून आदि का कोई निशान नहीं है। गंडासे की धार टूटी है, इन पर भी खून नहीं लगा है। अभियुक्त तालिब उर्फ भूरा से जो तमन्चा बरामद हुआ। उसके पुलिन्दे

कपड़े में से कोई टूटी सील बरामद नहीं हुई है, जो दो कारतूस जिन्दा बरामद हुए है, उनमें से एक जिन्दा कारतूस पर चलाने की यानि चोट लगी हुई है। अभियुक्त शादाब से जो तमन्चा बरामद हुआ है, उस पुलिन्दे में से भी कोई टूटी सील नहीं निकली है, जो तमन्चा बरामद हुआ है।

पी0डब्लू0–2 मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 22.10.2020 को मैं तत्कालीन एस0ओ0 बच्चू सिंह के साथ सरकारी गाडी यू0पी0–13ए0जी0–0465 मय कां0 सोमपाल शर्मा गाडी चालक, कां0 दुर्गेश कुमार, कां0 पंकज राणा, कां0 नरेन्द्र कुमार रपट संख्या–28 समय 17.21 बजे वास्ते शान्ति देखरेख व्यवस्था डयूटी चैंकिग संदिग्ध वाहन, व्यक्ति तलाश वांदित अपराधी रवाना होकर फौजी चौराहा जरगवां पर मौजूद थे, जरिये मुखबिर खास एस0ओ0 महोदय को द्वारा फोन सूचना मिली कि कुछ लोग एक कन्टेनर यू0पी0–21सी0एन0–5620 में गौवंश वध करने हेतु ले जा रहे है और जरगवां के पास पहुंच गए। जल्दी की जाए तो पकडे जा सकते है, इस सूचना पर विश्वास कर एक जल्दी–जल्दी गाडी तेज दौडा दी और पप्पू होटल के पास उक्त कन्टेनर को ओवरटेक करके रोकना चाहा, लेकिन कन्टेनर नहीं रूका। पुनः गाडी तेजकर बम्बा पुलि से पहले जीप को आगे निकालकर उक्त कन्टेनर को रोका पहले जीप को आगे निकालकर उक्त कन्टेनर को रोका और एकदम गाडी से उतरकर ड्राईवर की तरफ ट्रक के आगे होकर दौडा तो चालक ने एकदम जान से मारने की कोशिश की। मैं उप–निरीक्षक एकदम सडक किनारे गड्डे में कूदकर जान बचाई। चालक ने एक दम कन्टेनर को दौडा दिया। हम लोगों ने गाडी सरकारी से पुनः पीछा किया तो कन्डक्टर साईड बैठे व्यक्ति ने एकदम कहा भागो पुलिस है। ड्राईवर ने पेट्रोल पम्प से आगे बांयी तरफ खाली जगह झाड़ियों में एकदम उतार दिया और उक्त लोगों ने भागते हुए हम लोगों को जान से मारने की नीयत से एक फायर किया, जिससे हम लोग बाल–बाल बचे और ट्रक से कूदकर तीनों लोग भागने लगे। हम लोगों ने घेर दौड़कर दो लोगों को करीब 50 मीटर की दूरी पर समय करीब 18.30 बजे पकड लिया और एक व्यक्ति नरौरा परमाणु हाऊस की दीवार फांदकर अन्दर कूद गया, जिसे अन्दर ड्यूटी पर लगी सी0आई0एस0एफ0 की मदद से पकड़ लिया तथा पकड़े हुए लोगों को जो दीवार फांदकर भागा था, उसने अपना नाम **सावेज** बताया, जामातलाशी से कुछ बरामद नहीं हुआ। कन्टेनर को पीछे से खुलवा कर देखा तो कन्टेनर में कुल 17 गौवंश के पशु खडे, पडे रस्सियों से जकड़े जिनमें 14 गौवंसीय सॉड, दो गौवंसीय गाय जिन्दा तथा एक गोवसीय गाय मृत अवस्था में बरामद हुए तथा कन्टेनर के केबिन से एक रस्सा करीब 10 मीटर लम्बा प्लास्टिक व दो छूरी लोहा तथा एक दाँव (गंडासा) लोहा, बैंटीदार, बरामद हुआ। आपसी कर्मचारियों के सहयोग से गौवंसीय पशु को बंधनमुक्त किया, जो 14 रस्सियों से आपस में जकड़े हुए थे।

जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि हमारी थाने से रवानगी वास्ते दखेरख शान्ति व्यवस्था, चैंकिग व तलाश वांछित अपराधीगण हुई थी। इस समय मुझे ध्यान नहीं है कि मैं

किन–किन वाँछित अपराधियों की तलाश के लिए गया था। जी0डी0 वाँछित अपराधियों के रवानगी के समय नाम नहीं लिखे गये थे। थाने से हम लोग जी0डी0 रवानगी करके चले थे। जी0डी0 रवानगी में किसी वाँछित अपराधिगण निवासी अ0सं0 का विस्तृत विवरण अंकित नहीं था। हमारी पुलिस गाडी पर उस समय कौन ड्राईवर था, इस समय मुझे याद नहीं है। फर्द पर अन्य ड्राईवर के हस्ताक्षर कराये थे या नहीं इस समय याद नहीं है। घटना स्थल से फौजी चौराहा करीब 5 किमी0 की दूरी पर है। पप्पू होटल घटना स्थल से करीब एक से डेढ किलो मीटर पर है। पप्पू के होटल से आस–पास कोई दुकान व होटल नहीं है। होटल पर हम लोग नहीं रूके थे। गिरफ्तारी प्रपत्र मेरे द्वारा व मेरे हस्तलेख में हे। यह कहना सही है कि गिरफ्तारी प्रपत्र पर गिरफ्तारी स्थान व समय अंकित नहीं है, जो सहवन रह गया। इस समय मुझे ध्यान नहीं है कि पशुओं की सुपुर्दगीनामा गौशाला दिये गये थे, अब ध्यान नहीं किसके हस्तलेख में था। जो सुपुर्दगीनामा पत्रावली पर उपलब्ध है, जिस पर सुपुर्दगार ग्राम प्रधान कृष्णादेवी के हस्ताक्षर कर सुपुर्द किये गये है। उस सुपुर्दगीनामें पर किसी पुलिस अधिकारी व कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना सही है कि मुकदमें से सम्बन्धित बरामद माल मेरे सामने न्यायालय में नहीं है। एक रस्सा जो बरामद हुआ था, जो 10 मीटर का था, उसे ध्यान है शेष 14 रस्सीयाँ बरामद हुई थी, उनकी लम्बाई इस समय याद नहीं है। बरामद छूरी व दांव की लम्बाई व चौडाई फर्द में अंकित है, इस समय मुझे ध्यान नहीं है। पूरी कार्यवाही में करीब पौने घण्टे का समय लगा था। दीवार की ऊँचाई करीब 7–8 फिट झाडी पेडों के पास है। मैंने दरोगाजी को दीवार दिखाई थी, यदि उन्होंने नक्शा नजरी में नहीं दशाई हो तो वह कोई वजह नहीं बता सकता। पहले हमने दो अभियुक्त को घेरकर पुलिसवालों ने सम्मिलित रूप से पकडे थे। यह ध्यान नहीं है कि पहले किसने–किसको पकडा था। यह ध्यान नहीं है कि किस मुल्जिम का किसने पीछा किया और किसने पकडा, लेकिन सी0आई0एस0एफ0 वालों की मदद से पकडा था। यह कहना सही है कि सभी सी0आई0एस0एफ0 के जवानों को फर्द का गवाह नहीं बनाया था। यह बात भी सही है कि किसी सी0आई0एस0एफ0 के जवानों का नाम भी नोट नहीं किया था।

<u>पी0डब्लू0–3</u> ने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनाँक–22.10.20 को मैं थाना रामघाट पर बतौर उप–निरीक्षक तैनात था। दिनाँक–24.10.20 को वादी की निशानदेही पर घटना स्थल का नक्शानजरी बनाया। दिनाँक–21.12.2020 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा अभियोजन की स्वीकृति लेने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचा तो जिलाधिकारी महोदय नहीं मिले। दिनाँक–21.12.2020 को अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति सी0डी0 अंकित की गई।

जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि जिस समय इस मुकदमें की टीम थाने से रवाना हुई थी, उस समय मैं थाने पर नहीं था। घटना स्थल पावर प्लाण्ट की बाऊण्ड्री से 50 कदम की दूरी पर था। वादी व अन्य पुलिस पार्टी द्वारा यह बताया गया कि हमें फौजी चौराहे

पर फोन द्वारा सूचना मिली थी। सी0आई0एस0एफ0 वाले कर्मचारियों के नाम व पते क्या था, यह मेरी जानकारी में नहीं है। बरामद रस्सी की लम्बाई 01 मी, 10 मी0 शेश की 5–6 मीटर थी। पुलिसपार्टी ने आपस में जामा–तलाशी ली या नहीं ली थी, इस तथ्य की मुझे जानकारी नहीं है। यह कहना सही है कि एन0ए0पी0पी0 की दीवार नक्शा नजरी में प्रदर्शित नहीं की थी। भागे गये अभियुक्त सादाब की गिरफ्तारी वाला स्थान भी नक्शा नजरी में प्रदर्शित नहीं दिखाया है। गिरफ्तारी प्रपत्र में स्थानीय साक्षी वाले कालम में स्थान रिक्त है या नहीं ये भी मुझ नहीं पता।

पी0डब्लू0–5 पशु चिकित्साधिकारी है, ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनाँक–23.10.2020 को मैं पशु चिकित्सालय नरौरा में चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात था। उस दिन थाना प्रभारी रामघाट पूरन सिंह द्वारा मुझे फोन पर सूचना दी गई कि रामघाट रोड थाने के पास एक कन्टेनर पकड़ा गया है, जिसमें 17 गौवंश पकड़े गये है, जिनमें कुछ घायल अवस्था में थे और 16 पशु जिन्दे थे और 01 पशु मृत अवस्था में था, जो प्लास्टिक के रस्से में कन्टेनर में बंधे हुए थे, कुछ गौवंश नीचे पडे थे और दबे पडे थे, जिसमें से ज्यादातर पशु कमजोर थे, भूखे प्यासे थे, दो पशु नीचे उतरने पर पैर से लंगडाते हुए चल रहे थे, 14 पशु नर थे, तीन गौवंश मादा थे, जिनमें से एक गौंवश मादा थी, जिसका मेरे द्वारा पी0एम0 किया गया, जिसकी मृत्यु दम घुटने से हुई थी, एक नर गौवंश कटा हुआ था, मृतक गौवंश का पंचायतनामा शुरू सुबह 9.30 बजे दिनाँक–23.10.2020 को शुरू किया गया था। मृतक गौवंश का पी0एम0 थाना रामघाट के पास किया गया, मृतक पशु की उम्र 07 साल लगभग, रंग भूरा सीग लगभग 05 ईंच पूँछ काली थी, गले की श्वांस नली व फेफड़े कन्जेस्टिड थे, दोनों फेफडे कन्जेस्टिड थे। हृदय व बडी रक्त वाहिनी खून से भरी हुई थी, पेट फूला हुआ था। बदबूदार गैंस से पेट भरा हुआ था। बडी ऑत में कठोर गौबर भरा हुआ था।

जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि मैं पशु चिकित्सालय नरौरा पर वर्ष 2017 से कार्यरत हूँ। मैंने पशुओं का मेडीकल थाना रामघाट के पास सडक के किनारे जहाँ पर बालू के ढेर थे और प्राईवेट मैदान पर किया था। सभी पशु रस्सी से बंधे हुए थे। हम मौके पर अस्पताल से अपने प्राईवेट वाहन से गये थे, मेरे साथ पशु सहायक अशोक कुमार था एक और पशु सहायक मेरे साथ और था, उसका नाम मुझे याद नहीं है। सह सहायको के डॉक्टरी मुआयने पर हस्ताक्षर नहीं कराते है।

25. इस प्रकार, उपरोक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनाँक–22.10.2020 की समय 18.30 बजे की घटना की बाबत उसी दिनाँक को समय 22.22 बजे, लगभग चार घण्टे विलम्ब से दर्ज कराई गई है, जिसका कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि थाने से पुलिस कर्मचारीगण की कथित घटना की दिनाँक की रवानगी जी0डी0 को पत्रावली पर उपलब्ध कराकर साबित नहीं कराया गया है, जबकि

पुलिस द्वारा तहरीर में यह कथन किया है कि घटना की बाबत थाने से रवानगी करके थाने से चले थे। कथित घटना के दिन पुलिस पार्टी थाने से कथित घटना स्थल के लिए रवाना हुई हो, यह साबित नहीं होता है। कथित घटना के समय अभियुक्तगण द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किये जाने का कथन किया गया है, जबकि किसी पुलिस पार्टी को कोई चोट आना अंकित नहीं है, न ही पुलिस पार्टी की ओर से अपनी आत्मरक्षार्थ ही कोई फायर किया गया है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में घटना का कोई भी स्वतन्त्र साक्षी पेश नहीं किया गया है। कथित छूरी, गंडासा जो बरामद होना बताया गया है कि वह कन्टेनर के केबिन से बरामद होना बताया गया है। किसी व्यक्ति के पास से बरामद हुआ हो ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। एक अभियुक्त को सी0आई0एस0एफ0 के जवान की मदद से गिरफ्तार किया जाना बताया गया है, जबकि आरोप पत्र में सी0आई0एस0एफ0 के किसी भी जवान को गवाह नहीं बनाया गया है। विवेचक द्वारा भी सी0आई0एस0एफ0 के जवान के सम्बन्ध में अभिज्ञता का कथन किया है। यदि पुलिस बल द्वारा सी0आई0एस0एफ0 की मदद से किसी अभियुक्त को पकड़ा गया होता तो अवश्य ही उक्त लोक सेवक घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होता। उक्त साक्षी को गवाह न बनाया जाना और न्यायालय में पेश न किया जाना अभियुक्तगण की गिरफ्तार पर सन्देह उत्पन्न करता है।

26. जहाँ तक अभियुक्तगण द्वारा पुलिसबल पर तमन्चे से फायर किये जाने का कथन है तथा अभियुक्त तालिब उर्फ भूरा से जो तमन्चा 315 बोर बरामद होना बताया गया है वह उसकी बांयी फेंट से बरामद होना बताया गया है तथा दो जिन्दा बरामद होने का कथन किया गया है। अभियुक्त तालिब उर्फ भूरा से कोई खोखा कारतूस बरामद होना नहीं कहा है, इस प्रकार अभियुक्त तालिब उर्फ भूरा से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से कोई फायर किया गया हो, यह साबित नहीं है। अभियुक्त सादाब से तमन्चा 315 बोर, एक खोखा कारतूस बरामद होना बताया है। अभियुक्त सादाब के विरूद्ध यह आपराधिक वाद उपशमित हो चुका है। तीसरे अभियुक्त सावेज से कोई भी अवैध वस्तु बरामद होना नहीं बताया है। कथित बरामद तमन्चा व खोखा कारतूस के सम्बन्ध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की कोई आख्या पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके अभाव में यह स्पष्ट नहीं होता कि कथित बरामद तमन्चा चालू हालत में है अथवा नहीं तथा कथित खोखा कारतूस अभियुक्त सादाब द्वारा बरामद तमन्चे से फायर किया गया है। गिरफ्तार की घटना कोई चक्षुदर्शी साक्षी पेश नहीं किया गया है और न ही किसी पुलिसबल को कोई चोट आयी है, ऐसी स्थिति में अभियुक्त तालिब द्वारा कथित बरामद तमन्चे से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करना साबित नहीं होता है। जहाँ तक अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अवैध शस्त्र आयुध की अनुमति **प्रदर्श क–3** का प्रश्न है तो अभियोजन द्वारा जिला मजिस्ट्रेट बुलन्दशहर से अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन अनुमति प्रस्तुत की गई है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि उक्त अभियोग चलाये जाने की अनुमति दैनिक प्रक्रिया के अधीन जारी की गई है। उक्त अनुमति आदेश पर किसी भी

साक्षी के न तो हस्ताक्षर है न ही जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत हस्ताक्षर अंकित किये गये है, केवल तहरीर के आधार पर अनुमति टाईप की गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि तत्कालीन जिला–मजिस्ट्रेट बुलन्दशहर उक्त अभियोजन अनुमति देते हुए न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया है। इससे भी अभियोजन कथानक अभियुक्तगण के विरूद्ध सन्देहास्पद हो जाता है।

27. गौवंश अधिनियम की धारा–3/5/5ए/8 का उल्लेख आवश्यक है, जो निम्नवत् है–

Section 3 Prohibition of cow slaughter.-

No person shall slaughter or cause to be slaughtered or offer or cause to be offered for slaughter a cow, bull or bullock in any place in Uttar Pradesh; anything contained in any other law for the time being in force or an usage or custom to the contrary notwithstanding.

Section-5. Prohibition on sale of beef. -

Except as herein excepted and notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no person shall sell or transport or offer for sale or transport or cause to be sold or transported beef or beef- products in any form except for such medicinal purposes as may be prescribed. Exception. - A person may sell and serve or cause to be sold and served beef or beef products for consumption by a bona fide passenger in an air-craft or railway train.

Section 5A. Regulation on transport of cow, etc. -

(1) No person shall transport or offer for transport or cause to be transported any cow, or bull or bullock, the slaughter whereof in any place in Uttar Pradesh is punishable under this Act, from any place within the State to any place outside the State, except under a permit issued by an officer authorised by the State Government in this behalf by notified order and except in accordance with the terms and conditions of such permit. (5) The State Government or any officer authorised by it in this behalf by general or special notified order, may, at any time, for the purpose of satisfying itself, or himself, as to the legality or propriety of the action taken under this section, call for and examine the record of any case and pass such orders thereon as it or he may deem fit.

(8) *The cow and its progeny or the beef transported by the seized vehicle shall also be confiscated and seized by the law enforcement officers. The concerned District Magistrate/ Commissioner will do all proceedings of the confiscation and release, as the case may be.*

जहाँ तक गौवंश का बरामदगी का प्रश्न है? तथ्य के दोनों साक्षीगण के बयानों में कथित बरामदगी के सम्बन्ध में विरोधाभाष है। जो पशु, गंडासा, रस्सी आदि बरामद होने बताये

गये है, उनकी बरामदगी का कोई स्वतन्त्र साक्षी पेश नहीं किया गया है, न ही ऐसा कोई साक्षी पेश किया गया है कि उक्त पशु किस आदमी के थे। यहाँ तक कि कथित बरामद पशु किसकी अभिरक्षा में दिये गये, इस सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से कोई साक्षी पेश नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष यह भी बताने में सक्षम नहीं रहा है कि उक्त पशुओं को कहाँ पर रखा गया और वर्तमान में वे पशु कहाँ पर है। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि पशुओं का चिकित्सीय परीक्षण डॉक्टर द्वारा घटना के एक दिन बाद किया गया है तथा अपने बयान में यह कथन किया है कि कथित बरामद पशु रस्सियों से बंधे हुए थे, जबकि तथ्य के साक्षीगण ने कथित बरादम पशुओं को रस्सियों से मुक्त कराये जाने का कथन किया है। चिकित्सक ने थाने के पास ही मृतक गोवंश का पोस्टमार्टम किये जाने का कथन किया है, जबकि मृतक पशुओं की बरामदगी का घटना स्थल अन्यत्र स्थान पर बताया गया है। विवेचक द्वारा जो कथित बरामदगी का घटना स्थल बनाया गया है, उससे बरामगदी व गिरफ्तारी साबित नहीं होती है। स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट पर पशु चिकित्साधिकारी के हस्ताक्षर के अलावा अन्य सहायक पशु चिकित्सकों के कोई हस्ताक्षर अंकित नहीं है, ऐसी स्थिति में कथित कन्टेनर से पशुओं की बरामदगी पर भी सन्देह उत्पन्न होता है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य के अभाव में अभियोजन कथानक संदिग्ध प्रतीत होता है।

28. **धारा–27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम** में यह उल्लेखित है कि –

अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी – *"परन्तु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से जो पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरुप मेरा पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से, उतनी, चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी एतद्वारा पता चले हुए तथ्य में स्पष्टतया संबंधित है, साबित की जा सकेगी।"*

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध इस मुकदमें की सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस द्वारा अभियुक्तगण के अभिरक्षा में रहते हुए की गई है। अतः पुलिस अभिरक्षा में जबकि जनता का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है, अभियुक्तगण से की गई संस्वीकृति बरामदगी की सीमा तक ग्राह्य नहीं है।

रामानन्द बनाम मध्यप्रदेश राज्य, 1995 ज0ला0ज0 757 के वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि जहाँ अभियुक्त से अपराध में प्रयुक्त आयुद्य और वस्तु की बरामदगी का प्रश्न है तो ऐसी वस्तुयें यदि अभियुक्त से असम्बद्ध और घटना स्थल से भिन्न पायी जाती है, जो कि अभियोजन कथानक के अनुरूप दर्शित नहीं होती है, वहाँ पुलिस द्वारा की गई ऐसी बरामदगी का कोई महत्व नहीं है और ऐसी बरामदगी साक्ष्य में ग्राह्य नहीं मानी जा सकती।

29. पत्रावली पर संलग्न फर्द बरामदगी में अभियुक्तगण से 17 गौवंशीय पशु बरामद घटना के समय बरामद होना दर्शित किया गया है, जिनकी सुपुर्द फर्द बरामदगी में कहीं भी अंकित नहीं की गई है। पत्रावली पर पशुओं का सुपुर्दगीनामा कागज संख्या–9ए दिनाँकित–22.10.2020 संलग्न है, जिसमें कथित पशुओं को ग्राम प्रधान कृष्णादेवी की सुपुर्दगी दिया जाना अंकित किया गया है। उक्त सुपुर्दगीनामें पर न तो किसी साक्षी के हस्ताक्षर है और न ही किसी पुलिसकर्मी के हस्ताक्षर अंकित कराये गये है। अभियोजन द्वारा साक्ष्य के दौरान कथित पशुओं के कथित सुपुर्दगार ग्राम प्रधान कृष्णा देवी को भी साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस साक्ष्य अभाव में अभियोजन कथानक पूर्णतः संदिग्ध प्रतीत होता है, क्योंकि यदि पशु बरामद किये गये थे तो उनका निस्तारण अभी तक क्यों नहीं किया गया और बरामद पशुओं की वास्तविकता के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि सुपुर्दगार साक्षी को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था। खण्डन में अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध पशुओं की बरामदगी का कोई भी मामला साबित नहीं होता है, पशुओं का सुपुर्दगार न्यायालय में पेश नहीं किया गया है, घटना का कोई चश्मदीद गवाह भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। गवाहों के बयानों में विरोधाभाष है और घटना स्थल पर पुलिस कर्मचारीगण की उपस्थिति जी0डी0 रवानगी के अभाव में संदेहपूर्ण है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्क में बल प्रतीत होता है, क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में कोई भी जनता का स्वतन्त्र साक्षी नहीं है और जो साक्षी प्रस्तुत किये गये है, उनके बयानों में घोर विरोधाभाष है। पुलिस कर्मचारीगण का साक्ष्य अभियोजन कथानक के सापेक्ष विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

30. इस प्रकार, उभय पक्ष के तर्क सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का विश्लेषण करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अभियोजन अपने मामले को अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है, तदनुसार अभियुक्तगण आरोपित आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

31. **अभियुक्तगण तालिब उर्फ भूरा व सावेज** को सत्र वाद संख्या–60/2022, अपराध संख्या–156/2020, थाना–रामघाट, जिला–बुलन्दशहर में आरोपित आरोप अन्तर्गत **धारा–307/34 भारतीय दण्ड संहिता** से दोषमुक्त किया जाता है तथा सत्र वाद संख्या–62/2022, अपराध संख्या–157/2020, थाना–रामघाट, जिला–बुलन्दशहर में आरोपित आरोप अन्तर्गत **धारा–3/5/5ए/8 गौवध अधिनियम एवं धारा–429 भा0दं0सं0 व धारा–11 पशु क्रूरता अधिनियम** से दोषमुक्त किया जाता है।

32. अभियुक्त तालिब उर्फ भूरा को सत्र वाद संख्या–61 / 2022, अपराध संख्या–154 / 2020, थाना–रामघाट, जिला–बुलन्दशहर में आरोपित आरोप अन्तर्गत **धारा–3 / 25** आयुध अधिनियम में दोषमुक्त किया जाता है।

33. अभियुक्तगण जिला कारागार में निरूद्ध है। यदि वह अन्य किसी मामले में जेल में निरूद्ध न हो तो उन्हें अविलम्ब रिहा किया जाए। अभियुक्तगण का रिहाई आदेश अविलम्ब जिला कारागार अधीक्षक बुलन्दशहर को प्रेषित किया जाए।

34. माल मुकदमा बाद मियाद अपील नियमानुसार विनिष्ट किया जाए।

35. अभियुक्तगण द्वारा धारा 437–ए दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत अंकन–20–20 हजार, (बीस–बीस हजार) रूपये के व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इतनी ही धनराशि के दो–दो प्रतिभू प्रस्तुत किये जाएं, जो कि अपील की अवधि के छः माह तक प्रभावी रहेगें।

36. इस निर्णय की एक–एक प्रति सम्बन्धित **सत्र वाद संख्या–61 / 2022**, राज्य बनाम तालिब उर्फ भूरा एवं **सत्र वाद संख्या–62 / 2022,** राज्य बनाम तालिब उर्फ भूरा आदि की पत्रावलियों पर रखी जाए।

(राजेश कुमार–तृतीय)
दिनाँक–06.07.2026
अपर सत्र न्यायाधीश,
अनूपशहर, बुलन्दशहर।
यू.पी.आई.डी. 5962

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनाँकित व हस्ताक्षरित करके सुनाया गया।

(राजेश कुमार–तृतीय)
दिनाँक–06.07.2026
अपर सत्र न्यायाधीश,
अनूपशहर, बुलन्दशहर।
यू.पी.आई.डी. 5962